रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART I—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2008/श्रावण 13, 1930
No. 429] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2008/SRAVANA 13, 1930

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 573(अ).—केन्द्रीय सरकार, जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008, (2008 का 19) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .- (1) इन नियमों का नाम जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :**

इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो.-

(क) "अधिनियम" से जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 (2008 का 19) अभिप्रेत है;

(ख) "उपाबंध" से नियमों के उपाबंध अभिप्रेत है;

(ग) "परिशिष्ट" से नियमों का परिशिष्ट अभिप्रेत है ;

(घ) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

(ङ) "अध्यक्ष" से संस्थान का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. **गैर-चिकित्सा वैज्ञानिक और चिकित्सा संकायों के प्रतिनिधियों का नामांकन** .- (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 5 की उप-धारा (i) के उप-खण्ड (i) के अधीन सदस्यों के नामांकन के प्रयोजन के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक गैर चिकित्सा वैज्ञानिक के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को संस्थान को अग्रसर करने के लिए संस्थान के सदस्य के रूप में नामांकित करेगी :

परंतु उनमें से कम-से-कम तीन व्यक्ति चिकित्सा वैज्ञानिक होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार धारा 5 की उप-धारा (1) खण्ड (झ) के अधीन सदस्यों के नामांकन के प्रयोजन के लिए विभिन्न विधाओं का सम्यक ध्यान रखते हुए किसी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्था के चिकित्सा संकाय से किसी व्यक्ति को संस्थान के सदस्य के रूप में नामांकित करेगी।

4. **आकस्मिक रिक्तियों को भरना** .- पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य के पद में किसी आकस्मिक रिक्ति को धारा 5 के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति, नामांकन या निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा।

5. **अध्यक्ष की शक्तियां**.- अध्यक्ष की शक्तियां वे होंगी जो विनियमों में विनिर्दिष्ट हों।

6. **अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते**.- (1) संस्थान का अध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी भत्ते अथवा अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। तथापि, वह यात्रा और दैनिक भत्ते, यदि कोई हों, जिनका वह धारा 30 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन पात्र हो, प्राप्त कर सकेगा।

(2) उप नियम (1) की कोई बात निदेशक, जो निदेशक के पद से संबद्ध वेतन और भत्ते प्राप्त कर सकता है, पर लागू नहीं होगी।

7. **स्थायी समितियां.-** (1) स्थायी वित्त समिति का गठन किया जाएगा जिसमें वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य शामिल होगा। संस्थान धारा-10 की उप-धारा (5) के अनुसरण में, एक विद्या समिति, एक संपदा समिति, एक स्थायी चयन समिति, चिकित्सालय मामले समिति और किसी अन्य स्थायी या तदर्थ समिति का भी गठन करेगा।

(2) निम्नलिखित विषय स्थायी वित्त समिति को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो उन पर विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिशें देगी; अर्थात्.-

(क) संस्थान की प्राप्तियों और व्यय को दर्शित करने वाले वार्षिक लेखों के साथ उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट;

(ख) संस्थान की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित करने वाला बजट अनुमान;

(ग) नए पद के सृजन के लिए सभी प्रस्ताव;

(घ) संस्थान से संबंधित सभी वित्तीय विषय;

(ङ) निविदाएं आमंत्रित करने और उन्हें स्वीकार करने से संबंधित सभी विषय।

8. **पदों का सृजन और उन पर नियुक्तियां .-** (1) संस्थान बजट में विशेष उपबंधों और समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अध्यधीन, ऐसे वेतनमानों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं, पद सृजित कर सकती है, उन्हें ग्रेडों में वर्गीकृत कर सकेगी और उनके पदनाम विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

परन्तु सह-आचार्य के स्तर से ऊपर का कोई भी पद केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय सृजित नहीं किया जाएगा।

(2) संस्थान द्वारा निदेशक के पद पर नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से की जाएगी।

(3) निदेशक के छुट्टी पर चले जाने या त्याग-पत्र देने की दशा में या किसी अन्य संभाव्यता में पद रिक्त होने पर नए निदेशक के नियुक्त किए जाने तक, अध्यक्ष छह मास से अनधिक अवधि के लिए निदेशक के कृत्यों के लिए ज्येष्ठतम आचार्य को नियुक्त कर सकता है।

परन्तु संस्थान कारणों को लेखबद्ध करते हुए छह मास से अनधिक किसी अवधि के लिए निदेशक के रूप में किसी को नियुक्त कर सकेगा;

परन्तु यह और कि यदि ऐसी नियुक्ति की अवधि के छह मास से अधिक होने की संभावना हो तो ऐसी नियुक्ति को छह मास के पश्चात् विस्तार अनुदत्त करने से पहले केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन लेना होगा।

(4) भर्ती की रीति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हाएं और विभिन्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय और संस्थान में सेवा शर्तें वे होंगी जो विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट हों।

(5) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और संस्थान का कर्मचारी होने का विकल्प देने वाले अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें, **परिशिष्ट** में यथा उपबंधित होंगी।

9. **बजट का प्राक्कलन.-** संस्थान की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाला वार्षिक बजट नीचे विनिर्दिष्ट दो भागों में तैयार किया जाएगा और वे ऐसे प्ररूप में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ने अधिकथित किया है और वह उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित तारीख तक तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात्;

भाग-1 गैर-योजना व्यय से संबंधित, और

भाग-2 योजना व्यय से संबंधित ।

10. **संस्थान की निधियों में जमा और उससे निकालना.-** (1) सभी धन, संस्थान की निधि में जमा होंगे, जो पुडुचेरी स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा में जमा किया जाएगा।

(2) उक्त निधि का संचालन निदेशक द्वारा किया जाएगा और निधि से निदेशक अथवा इस निमित्त निदेशक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत संस्थान के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चैकों से निकाला जाएगा।

(3) भुगतान के लिए सभी बिलों की संस्थान के लेखा अधिकारी द्वारा पूर्व जांच की जाएगी।

11. **लेखाओं का वार्षिक विवरण.-** (1) संस्थान के वार्षिक लेखे जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में होंगे जो सरकार द्वारा अधिकथित किए जाएं।

(2) 31 मार्च को समाप्त प्रत्येक वर्ष की विवरणी के साथ उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट ऐसी संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी अवधि तक अपेक्षा की जा सकती है जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित करे।

12. ***वार्षिक रिपोर्ट.-*** (1) धारा 19 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष की होगी और सरकार को ऐसी संख्या में प्रतियों के साथ जिसकी केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे ऐसी अवधि में भेजी जाएगी, जिसे सरकार द्वारा अधिकथित किया जा सकेगा।

13. **विवरणियां .-** संस्थान केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में और रीति द्वारा जो सरकार द्वारा अपेक्षित हो, विवरणी और सूचना भेजेगी।

परिशिष्ट

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों जो संस्थान का कर्मचारी बनने का विकल्प देंगे, के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें

1. जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को उन्हीं वेतन और भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तों, जो उन्होंने तब धारित किए होते यदि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ होता, के साथ अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से संस्थान का कर्मचारी बनने के लिए उनके विकल्प देने तक बगैर प्रतिनियुक्ति भत्ते के प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा।

2. सहायक आचार्य, सह-आचार्य और आचार्य, जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप संवर्ग के सदस्य हैं और जिन्होंने संस्थान का कर्मचारी बनने के लिए अपना विकल्प दिया है, को ऐसे विकल्प की तारीख से विभिन्न संकाय पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिसका ब्यौरा उपाबंध में दिया गया है। संस्थान में ऐसी नियुक्ति पर अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता वही रहेगी।

3. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के अधिकारियों को उन्हीं वेतनमानों में नियुक्त किया जाएगा जो वे संस्थान में अपने आमेलन की तारीख को प्राप्त कर रहे थे।

उपाबंध

संस्थान का कर्मचारी बनने का विकल्प देने पर अध्यापन उपसंवर्ग के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों की नियुक्ति
(कृपया नियम 5 देखें)

क्र.सं.	वर्तमान पदनाम और वेतनमान	प्रस्तावित पदनाम और वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सहायक आचार्य (10000-15200 रूपए)	सहायक आचार्य (11625-15200 रूपए)	
2.	सह आचार्य (12000-16500 रूपए)	सह आचार्य (14300-18300 रूपए)	
3.	आचार्य (14300-18300 रूपए)	अपर आचार्य (16400-20900 रूपए)	9 वर्ष की नियमित सेवा वाले प्रोफेसर को प्रोफेसर के ग्रेड (18400-22400 रूपए) में नियुक्त किया जाएगा।
4.	निदेशक आचार्य (18400-22400 रूपए)	आचार्य (18400-22400 रूपए)	
5.	अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (22400-24500 रूपए)	ज्येष्ठ आचार्य (22400-24500 रूपए)	

[फा. सं. ए-12034/18/2008-एमई-III]

शालिनी प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2008

G.S.R. 573(E).—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 (19 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. **Short title and commencement** .– (1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions:**

In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" *means* the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 (19 of 2008)

(b) "Annexure" means the annexure to the rules

(c) "Appendix" means the appendix to the rules

(d) "Director" means the Director of the Institute

(e) "President" means the President of the Institute

(f) "section" *means* a section of the Act;

3. **Nomination of representatives of non-medical scientists and medical faculties.**– (1) For the purposes of nomination of members under clause (i) of sub-section (1) of section 5, the Central Government, in addition to one non-medical scientist representing Indian Science Congress Association, shall nominate any person to be the member of the Institute having due regard for the furtherance of the Institute:

Provided that at least three persons shall be from among medical scientist.

(2) For the purposes of nomination of members under clause (j) of sub-section (1) of section 5, the Central Government shall nominate any person from medical faculty of any of the Indian Universities or institutions to be member of the Institute having due regard to different disciplines.

4. Filling up of casual vacancies.– Any casual vacancy in the office of a member, other than *ex officio* member, shall be filled by nomination or election, as the case may be, in accordance with the provisions of section 5.

5. Powers of the President.– The powers of President shall be as specified in the Regulations.

6. Allowances of President and Members.– (1) The President or any members of the Institute shall not be entitled to any allowance or other remuneration. He may, however, draw the traveling and daily allowances, if any, to which he may be eligible under the regulations framed under section 30.

(2) Nothing in sub-rule(1) shall apply to the Director who may draw the salary and allowances attached to the post of Director.

7. Standing Committees.– (1) There shall be constituted a Standing Finance Committee, which shall include the member representing the Ministry of Finance. The Institute may also constitute an Academic Committee, an Estate Committee, a Standing Selection Committee, Hospital Affairs Committee and any other standing or *ad hoc* committee in accordance with sub-section 5 of section 10.

(2) The following matters shall be referred to the Standing Finance Committee which shall consider them and make its recommendations thereon, namely.–

(a) annual accounts showing the receipts and expenditure of the Institute together with the audit report thereon;

(b) budget estimates showing the estimated receipts and expenditure of the Institute;

(c) all proposals for the creation of new post;

(d) all financial matters pertaining to the Institute;

(e) all matters relating to the invitation and acceptance of tenders.

6. Creation of posts and appointments thereto.— (1) The Institute may create posts, subject to specific provision in the budget, and the instructions of the Central Government issued from time to time, on such scales of pay as are approved by the Central Government, classify them into grades and specify their designations:

Provided that no post above the Associate Professor level shall be created except with the prior approval of the Central Government.

(2) The appointment to the post of Director shall be made by the Institute with the prior approval of the Central Government.

(3) In the event of the Director proceeding on leave or resigning or the post falling vacant in any other eventuality, till such time a new Director is appointed, the President may appoint the senior-most Professor to look after the functions of the Director for a period not exceeding six months;

Provided that the Institute may appoint, for reasons to be recorded in writing, any person as Director for a period of not exceeding six months;

Provided further that if the period of such appointment is likely to exceed six months, prior approval of the Central Government shall be taken before granting extension of such appointment beyond six months.

(4) The method of recruitment, the age limit, the educational qualifications and other matters relating to appointment to various posts and the conditions of service in the Institute shall be as specified in the regulations.

(5) The pay and allowances and other service conditions of the officers belonging to the Central Health Service and who opts to be an employee of the Institute are as provided in Appendix.

9. **Budget Estimates.**--The annual Budget showing the estimated receipts and expenditure of the Institute shall be prepared in two parts specified below and they shall be in such form as may be laid down by the Central Government and shall be submitted to it in triplicate by the date stipulated by the Central Government, namely:

Part I relating to Non-Plan expenditure, and

Part II relating to Plan expenditure.

10. **Deposits into and withdrawals from the Funds of Institute.**-- (1)All moneys credited to the Fund of the Institute shall be deposited in any branch of a nationalised bank, at Puducherry.

(2) The said Fund shall be operated by the Director, and withdrawals from the Fund shall be made by cheques signed by the Director or an officer of the Institute duly authorised by the Director in this behalf.

(3) All bills for payment shall be pre-checked by an accounts officer of the Institute.

11. **Annual Statement of Accounts.**-- (1) The annual accounts including the balance sheet of the Institute shall be in such form as may be laid down by the Government.

(2) The statements pertaining to each year ending with 31st of March together with the audit report thereon shall be forwarded to the Central Government together with such number of spare copies thereof as may be required by the Central Government from time to time by such time as may be laid down by the Government.

12. **Annual Reports.**— (1) The annual report referred to in section 19 shall relate to the year ending on the 31st March and shall be submitted to the Central Government together with such number of copies as may be required by the Central Government by such time as may be laid down by the Government.

13. **Returns.**-- The Institute shall furnish to the Central Government returns and information in such form and manner as may be required by the Government.

APPENDIX

Pay, Allowances and other terms and conditions of service of officers of Jawaharlal Institute of Post-Graduate Institute of Medical Education Research (JIPMER), Puducherry belonging to Central Health Service who opts to be the employees of the Institute.

1. The officers of the JIPMER belonging to the Central Health Service shall deemed to be on deputation without deputation allowance from the date of the commencement of the Act with the same pay and allowances and *other terms* and *conditions* of the *service* as he would have held such post, if the Act has not come into force till they exercise their option to be employee of the Institute.

2. The Assistant Professor, the Associate Professor and Professor who are members of the teaching sub-cadre of Central Health Service and who have exercised their option to be the employees of the Institute shall be placed from the date of such option in various faculty position as indicated in the Annexure. On such appointment to the Institute, the inter-se-seniority of the officers shall remain the same.

3. The officers belonging to General Duty Medical Officer sub-cadre of Central Health Service shall be placed in the corresponding scales as they are drawing on the date of their absorption into the Institute.

ANNEXURE

Placement of Central Health Service Officers of teaching sub-cadre on their option to become the employee of the Institute.

(See rule 5)

S.No.	Existing designation and the pay scale	Proposed designation and the pay scale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Assistant Professor (Rs.10000-15200)	Assistant Professor (Rs.11625-15200)	-
2.	Associate Professor (Rs.12000-16500)	Associate Professor (Rs.14300-18300)	-
3.	Professor (Rs.14300-18300)	Additional Professor (Rs.16400-20900)	Professor with nine years of regular service shall be placed in the grade of

			Professor (Rs.18400-22400)
4.	Director-Professor (Rs.18400-22400)	Professor (Rs.18400-22400)	
5.	Additional Director General of Health Services (Rs.22400-24500)	Senior Professor (Rs.22400-24500)	

[F.No. A-12034/18/2008-ME-III]
SHALINI PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2008

का.आ.नि. 574(अ).—केन्द्रीय सरकार जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी, अधिनियम, 2008 (2008 का 19) की धारा 30 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. *संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :* (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विनियम, 2008 है।

(2) *ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।*

2. **परिभाषाएं :**

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) "अधिनियम " से जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 (2008 का 19) अभिप्रेत है ;

(ii) "उपाबंध " से इन विनियमों की अनुसूची का उपाबंध अभिप्रेत है ;

(iii) "अध्यक्ष " से संस्थान के शासी निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(iv) 'निदेशक ' से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

(v) ' सभापति ' से संस्थान का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(vi) " नियम " से जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी, नियम, 2008 अभिप्रेत है ;

(vii) "अनुसूची " से इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(viii) " धारा " से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ix) "स्थायी समिति और तदर्थ समितियां " से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन गठित क्रमशः स्थायी समिति और तदर्थ समितियां अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों जो इस विनियम में प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगें जो उस अधिनियम में हैं।

3. **सभापति की शक्तियां और कृत्य :** सभापति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो अधिनियम, नियम और इन विनियमों की अनुसूची 1में अधिकथित किए गए हैं।

4. **संस्थान के अधिवेशन का समय और स्थान :** संस्थान का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा, जिसे सभापति समय-समय पर निर्धारित करें ;

परन्तु संस्थान का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम-से-कम एक बार होगा।

5. **संस्थान का अधिवेशन बुलाने की शक्तियां :** (1) सभापति संस्थान का अधिवेशन किसी समय बुला सकता है और ऐसा वह तभी करेगा यदि उसे बुलाए जाने वाले प्रस्तावित अधिवेशन के विषय को विनिर्दिष्ट करते हुए ग्यारह से अनधिक सदस्यों द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए लिखित रूप से अध्यपेक्षा की हो।

(2) सभापति सात पूर्ण दिनों से अन्यून की लिखित सूचना पर संस्थान का असाधारण अधिवेशन बुला सकेगा, और ऐसा तभी करेगा यदि बुलाए जाने वाले प्रस्तावित अधिवेशन

के विषय को विनिर्दिष्ट करते हुए ग्यारह सदस्यों से अन्यून की लिखित रूप में उसे उस प्रयोजन से प्रस्तुत किया जाता हो।

6. संस्थान के अधिवेशनों के लिए सूचना : (1) संस्थान के साधारण अधिवेशन के लिए सभापति द्वारा यथानुमोदित अधिवेशन के स्थान, तारीख और समय विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना से सदस्यों को अधिवेशन की तारीख से कम-से-कम दो सप्ताह पहले यदि डाक द्वारा दी जाती है तो डाक में डाले जाने के प्रमाण पत्र के अधीन, सचिव द्वारा दी जाएगी। सभापति द्वारा यथानुमोदित कार्यसूची अधिवेशन की सूचना के साथ भेजी जाएगी और जहां यह संभव न हो, वहां कार्यसूची को अधिवेशन से कम-से-कम दस दिन पहले भेजा जाएगा और डाक से भेजने पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजा जाएगा।

(2) असाधारण अधिवेशनों के लिए सभापति द्वारा यथानुमोदित अधिवेशन के लिए स्थान, तारीख और समय को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना सभापति और सदस्यों को बैठक की तारीख से कम-से-कम सात दिन पहले सचिव द्वारा भेजी जाएगी और डाक से भेजे जाने पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन या तार से भेजी जाएगी। सभापति द्वारा यथानुमोदित कार्यसूची अधिवेशन से कम-से-कम पांच दिन पहले भेजी जाएगी और डाक से भेजे जाने पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजी जाएगी।

(3) सभापति निम्नलिखित को अधिवेशन से पहले किसी समय भी उसकी बैठक कार्यसूची में शामिल कर सकता है :-

(i) कार्य की नई मदें ;

(ii) कार्यसूची में सम्मिलित मदों की पूरक मदें ;

और ऐसी मदें विचारार्थ के लिए ली जाएंगी।

7. **संस्थान के सदस्यों द्वारा संकल्प प्रस्तुत करना :**

संस्थान की बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई संस्थान का सदस्य सचिव को उसकी लिखित सूचना देगा ताकि वह अधिवेशन की तारीख से अन्यून दस दिन पहले उसे प्राप्त हो जाए और ऐसी सूचना दिए जाने पर प्रस्तावित संकल्प सचिव द्वारा सदस्यों को तत्काल परिचालित किया जाएगा और कार्यसूची में शामिल किया जाएगा।

8. **गणपूर्ति :** (1) संस्थान के अधिवेशन में आठ सदस्यों के उपस्थित नहीं होने तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

(2) यदि अधिवेशन करने के निर्धारित समय से आधा घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती तो अधिवेशन स्थगित रहेगा और सदस्य गण सभापति द्वारा नियत तारीख, समय और स्थान पर अधिवेशन करेंगे तथा यदि स्थगित अधिवेशन में भी अधिवेशन के निर्धारित समय से आधा घंटे के अन्दर गणपूर्ति नहीं होती तो सदस्यों की कुल संख्या के कम-से-कम एक तिहाई संख्या में उपस्थित होने पर भी अधिवेशन होगा ;

परन्तु कम-से-कम सात पूर्ण दिनों की सूचना अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों और प्रत्येक सदस्य को जो उस अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे उसी या अगले दिन जैसा मामले में अपेक्षित हो, डाक या तार या विशेष संदेशवाहक द्वारा दी जाएगी।

9. **संस्थान के अधिवेशन की अध्यक्षता :** (1) सभापति, संस्थान के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(2) यदि सभापति किसी ऐसे अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो तो उपस्थित सदस्यगण अपने में से किसी सदस्य का चयन अधिवेशन के सभापति के लिए करेंगे।

10. **कारबार का संव्यवहार :** (1) संस्थान के सभी विनिश्चय बहुमत से किए जाएंगे। सभापति मतों के बराबर होने पर निर्णायक मत देगा।

(2) किसी सदस्य द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर अधिवेशन के सभापति द्वारा दिया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) संस्थान द्वारा अधिवेशन में निपटाए गए किसी विषय को एक वर्ष बीतने तक और उसके पश्चात पुनर्विचार के लिए नहीं प्रस्तुत किया जाएगा सिवाय उस मामले में जहां सभापति या सरकार प्रमाणित करती हो कि संस्थान के हित में उस विषय पर और विचार करने की अपेक्षा है।

11. **कागज पत्र के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार :** (1) संस्थान के करने के लिए आवश्यक कोई कारबार यदि सभापति ऐसा निर्देश दें, भारत स्थित सभी सदस्यों में उनके प्रायिक घरों पर रजिस्ट्रीकृत लिफाफे में कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा निपटाया जाएगा और इस प्रकार परिचालित कोई संकल्प पारित माना जाएगा यदि सदस्यों का बहुमत इसका अनुमोदन लिखित रूप में करें, और यह उतना ही प्रभावी तथा बाध्यकारी होगा यदि यह संस्थान के अधिवेशन में पारित किया गया होता।

(2) जब कोई कारबार सदस्यों को परिचालन से इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है तो सदस्यों से उत्तर की प्राप्ति के लिए कम-से-कम तीन सप्ताहों की अवधि अनुज्ञात होगी, ऐसी अवधि उस तारीख से गणना की जाएगी जिस तारीख को कारबार की सूचना जारी की गई है।

परन्तु यदि किसी सदस्य से नियत तारीख तक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इस प्रकार परिचालित संकल्प को संबंधित सदस्य द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा।

(3) यदि किसी संकल्प को परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम सभी सदस्यों को सूचित किया जाएगा।

12. कारबार के अभिलेख : (1) सचिव द्वारा, संस्थान द्वारा किए गए सभी कारबार के संव्यवहारों के अभिलेख का अनुरक्षण किया जाएगा।

(2) संस्थान के सभी कारबारों का, जहां तक संभव हो, संस्थान द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली कार्यवृत्त पुस्तक में संकल्पों के प्रारूप में अभिलिखित किए जाएंगे और उनकी सम्यक् रूप से पुष्टि किए जाने के पश्चात् उस अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। संस्थान की कार्यवाही पुस्तक में ऐसे विनिश्चय की प्रविष्टि इस तथ्य का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि ऐसे विनिश्चय संस्थान द्वारा लिए गए थे।

(3) अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किए जाने के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही संस्थान के सभी सदस्यों को परिचालित की जाएगी।

13. शासी निकाय का गठन : संस्थान का शासी निकाय निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर बनेगा, अर्थात् :-

(1.) संस्थान का अध्यक्ष - सभापति

(2.) सचिव सदस्य पदेन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

(3.) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, भारत सरकार

(4.) संस्थान के सदस्य जो वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं

(5.) संस्थान का निदेशक

(6.) मुख्य सचिव, पुडुचेरी सरकार

(7.) संकायाध्यक्ष, संस्थान

अन्य सदस्य

(8.) संस्थान के लिए निर्वाचित तीन संसद सदस्यों में से संस्थान के सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक सदस्य।

(9.) संस्थान के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाने वाले तीन सदस्य ।

(10.) संस्थान द्वारा वार्षिक रूप से जेष्ठता क्रम से नामित किए गए संस्थान के दो आचार्य।

(11.) तीन वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार की राय से अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के परंतुक के अध्यधीन संस्थान को अग्रसर करने में योगदान करेगा।

14. **अध्यक्ष तथा शासी निकाय की शक्तियां और कृत्य :** अध्यक्ष और शासी निकाय ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो इन विनियमों में से उपाबध अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट है।

15. **शासी निकाय के अधिवेशनों का समय और स्थान :**

शासी निकाय का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो समय-समय पर अध्यक्ष अवधारित करेगा ;

परन्तु शासी निकाय का अधिवेशन 6 मास में कम-से-कम एक बार होगा।

16. **शासी निकाय का अधिवेशन बुलाने की शक्तियां :** सभापति, शासी निकाय का अधिवेशन किसी समय बुला सकता है, और ऐसा वह तभी करेगा यदि उसे बुलाए जाने वाले प्रस्तावित अधिवेशन के विषय को विनिर्दिष्ट करते हुए आठ से अनधिक सदस्यों द्वारा उस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में अध्यपेक्षा की गई हो।

17. **शासी निकाय के अधिवेशन के लिए सूचना :** (1) शासी निकाय के साधारण अधिवेशन के लिए अध्यक्ष द्वारा यथानुमोदित अधिवेशन के स्थान, तारीख और समय विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना सदस्यों को ऐसे अधिवेशन की तारीख से कम-से-कम दो सप्ताह पहले यदि डाक द्वारा दी जाती हो तो डाक में डाले जाने के प्रमाण पत्र के अधीन सचिव द्वारा दी जाएगी। अध्यक्ष द्वारा यथानुमोदित कार्यसूची अधिवेशन की सूचना के साथ भेजी जाएगी और जहां यह संभव न हो, वहां कार्यसूची को अधिवेशन से कम-से-कम दस दिन पहले भेजा जाएगा और डाक से भेजने पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजा जाएगा।

(2) असाधारण अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष द्वारा यथानुमोदित अधिवेशन के लिए स्थान, तारीख और समय को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक की तारीख से कम-से-कम सात दिन पहले सचिव द्वारा भेजी जाएंगी और डाक या तार से भेजे जाने पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजी जाएंगी। सभापति द्वारा यथानुमोदित कार्यसूची अधिवेशन से कम-से-कम पांच दिन पहले भेजी जाएगी और डाक से भेजे जाने पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजी जाएगी।

(3) अध्यक्ष निम्नलिखित को अधिवेशन से पहले किसी समय या उसके दौरान कार्यसूची में शामिल कर सकता है :-

(i) कार्य की नई मदें ;

(ii) कार्यसूची में सम्मिलित मदों की पूरक मदें ;

और ऐसी मदें विचार के लिए ली जाएंगी।

18. गणपूर्ति : (1) शासी निकाय के अधिवेशनों में सात सदस्यों के उपस्थित नहीं होने तक कोई कार्य संपन्न नहीं किया जाएगा।

(2) यदि अधिवेशन करने के निर्धारित समय से आधा घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती तो अधिवेशन स्थगित रहेगा और अध्यक्ष द्वारा नियत तारीख, समय और स्थान पर शासी निकाय का अधिवेशन होगा तथा यदि स्थगित अधिवेशन में भी अधिवेशन के निर्धारित समय से आधा घंटे के अन्दर गणपूर्ति नहीं होती तो कुल सदस्यों के कम-से-कम एक तिहाई संख्या में उपस्थित होने पर भी अधिवेशन होगा ;

परन्तु कम-से-कम सात पूर्ण दिनों की सूचना अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों और प्रत्येक सदस्य को जो उस अधिवेशन में उपस्थित नही थे उसी या अगले दिन जैसा मामले में अपेक्षित हो डाक या तार या विशेष संदेशवाहक द्वारा दी जाएगी।

19. **शासी निकाय के अधिवेशन की अध्यक्षता :** (1) अध्यक्ष, शासी निकाय की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) यदि अध्यक्ष किसी अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो तो उपस्थित सदस्यगण अपने में से किसी सदस्य का चयन बैठक के सभापति के रूप में करेंगे।

20. **कारबार का संव्यवहार :** (1) संस्थान के सभी विनिश्चय बहुमत से किए जाएंगे। अध्यक्ष मतों के बराबर होने पर निर्णायक मत देगा।

(2) किसी सदस्य द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा दिया गया विनिश्चयअंतिम होगा।

(3) संस्थान द्वारा अधिवेशन में निपटाए गए किसी विषय को एक वर्ष बीतने तक और उसके पश्चात् पुनर्विचार के लिए नहीं प्रस्तुत किया जाएगा सिवाय उस मामले में जहां अध्यक्ष या सरकार प्रमाणित करती हो कि संस्थान के हित में उस विषय पर और विचार की अपेक्षा है।

21. **कागज पत्र के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार :** (1) शासी निकाय के करने के लिए आवश्यक कोई कारबार, यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश दें, भारत स्थित सभी सदस्यों में उनके प्रथिक पतों पर रजिस्ट्रीकृत लिफाफे में कागज पत्रों के परिचालन द्वारा निपटाया जाएगा और इस प्रकार परिचालित कोई संकल्प तथा सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर अनुमोदित कोई संकल्प उतना ही प्रभावी और बाध्यकारी होगा यदि यह शासी निकाय की बैठक में पारित किया गया होता।

(2) जब कोई कारबार सदस्यों को परिचालन से इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है तो सदस्यों से उत्तर की प्राप्ति के लिए पूर्ण दस दिनों की अन्यून अवधि होगी, ऐसी अवधि उस तारीख से गणना की जाएगी जिस तारीख को कारबार की सूचना जारी की गई हो।

परन्तु यदि किसी सदस्य से नियत तारीख तक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो इस प्रकार परिचालित संकल्प को संबंधित सदस्य द्वारा अनुमोदित समझा जाएगा।

(3) यदि किसी संकल्प को परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा।

22. कारबार के अभिलेख :

(1) सचिव द्वारा संस्थान द्वारा किए गए सभी कारबार के संव्यवहार के अभिलेख का अनुरक्षण किया जाएगा।

(2) संस्थान के सभी कारबारों का, जहां तक संभव हो संस्थान द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली कार्यवृत्त पुस्तक में संकल्पों के प्रारूप में अभिलिखित किए जाएंगे और उसकी सम्यक रूप से पुष्टि किए जाने के पश्चात् उस अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। संस्थान की कार्यवाही पुस्तक में ऐसे विनिश्चय की प्रविष्टि इस तथ्य का निर्णायक साक्ष्य होगा कि ऐसे निर्णय संस्थान द्वारा लिए गए थे।

(3) अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित हो जाने के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही संस्थान के सदस्यों को परिचालित की जाएगी।

23. शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि और आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना : (1) संस्थान के सदस्य के रूप में उनके बने रहने के अधीन रहते हुए शासी निकाय के पदेन सदस्य की पदावधि और विनियम 13 के खण्ड (10) और (11) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष होगा। कोई पद छोड़ने वाला सदस्य पुनर्निर्वाचन या पुर्न नाम निर्देशन का पात्र होगा।

(2) शासी निकाय की सदस्यता में आकस्मिक रिक्ति को इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

24. स्थायी और तदर्थ समितियां : (1) स्थायी और तदर्थ समितियों में संस्थान का निदेशक, पदेन सदस्य होगा, जो सचिव के रूप में कार्य करेगा तथा उतनी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जो आवश्यक हो।

(2) तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को संस्थान द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा।

परन्तु स्थायी वित्त समिति में केवल संस्थान के सदस्य होंगे।

परन्तु यह और कि व्यक्तियों की संख्या जो संस्थान के सदस्य नहीं हैं प्रत्येक अन्य स्थायी अथवा तदर्थ समितियों की कुल सदस्यता के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि स्थायी अथवा तदर्थ समितियों के अधिवेशन में किसी कारबार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि समिति का गठन करने वाले कुल सदस्यों का कम-से-कम एक-तिहाई उपस्थित न हों।

(3) स्थायी शैक्षणिक समिति, संस्थान के शैक्षणिक मामलों के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर विचार करेगी।

(4) स्थायी सम्पदा समिति, नए भवनों के निर्माण, भूमि के अधिग्रहण और निपटान, परिवर्धनों या परिवर्तनों के प्रस्तावों तथा संस्थान के भवनों के अनुरक्षण और उपयोग से संबंधित किसी अन्य प्रश्न पर विचार करेगी। यह संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके विस्तार के लिए प्रस्तावों और परियोजनाओं पर भी विचार करेगा तथा कार्यान्वयन की मानीटरिंग करेगा।

(5) स्थायी चयन समिति, या तो सीधी भर्ती के माध्यम से या मूल्यांकन प्रोन्नति योजना के अधीन भरे गए सभी संकाय पदों की नियुक्ति पर विचार करेगी। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा भारत सरकार स्थायी चयन समिति के सदस्य होंगे।

(6) अस्पताल मामले संबंधी समिति, रोगी परिचर्या सेवाओं में सुधार/किसी विशेषज्ञ सेवा अथवा नई सेवा के सृजन, विभिन्न सेवाओं के लिए उदग्रहीत किए जाने वाले प्रभारों

की पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करने से संबंधित सभी नीति संबंधी मामलों अथवा अस्पताल प्रबंधन से संबंधित किसी अन्य नीति संबंधी मामले देखेगी।

(7) स्थायी समिति के किसी सदस्य की पदावधि इसके गठन की तारीख से पांच वर्ष होगी और यथाशीघ्र विशिष्ट कृत्य जिनके लिए तदर्थ समिति का गठन किया गया है, पूरे हो जाएंगे, तदर्थ समिति कृत्य से विरत हो जाएगी।

(8) संस्थान द्वारा स्थायी समिति या तदर्थ समिति में आकस्मिक रिक्ति को नाम निर्देशन के द्वारा भरा जा सकता है।

25. संस्थान, शासी निकाय, स्थायी और तदर्थ समिति के सभापति तथा सदस्य को संदत्त किए जाने वाले यात्रा और दैनिक भत्ते :- (1) शासी निकाय के अध्यक्ष और सदस्यों तथा (यथा स्थिति), स्थायी समिति और तदर्थ समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को शासी निकाय, स्थायी समिति या तदर्थ समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए यात्रा और दैनिक भत्तों के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक या अन्य भत्ता प्राप्त नहीं होगा।

(2) संस्थान के सभापति और प्रत्येक सदस्य, शासी निकाय, स्थायी तथा तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और सदस्य, यदि वे सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी हैं, संस्थान, शासी निकाय, स्थायी अथवा तदर्थ समितियों के अधिवेशनों में सम्मिलित होने के लिए अथवा संस्थान के किसी अन्य कार्य में सम्मिलित होने के लिए की जाने वाली यात्रा के लिए ऐसे यात्रा एवं दैनिक भत्तों के पात्र होंगे जो आधिकारिक कर्त्तव्य के निर्वहन में की गई यात्राओं के लिए उन पर लागू नियमों के तहत अनुमत हैं।

(3) जहां किसी संस्थान, शासी निकाय, स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों के किसी सदस्य को सरकार के अधिकारी होने के नाते यात्रा और दैनिक भत्ते दिए जाएंगे, वहां संस्थान ऐसे अधिकारी को नियोजित करने वाले प्राधिकरण को इस तरह संदत्त राशि की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(4) संस्थान के सभापति और सदस्य तथा शासी निकाय, स्थायी और तदर्थ समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्य जो सरकार में अधिकारी नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरक नियम 190 और उसके अन्तर्गत कार्यकारी विनिश्चय और आदेशों के अधीन समय-समय पर विहित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

26. **निदेशक की शक्तियां और कर्त्तव्य :** (1) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(2) निदेशक संस्थान के प्रशासन का प्रभारी होगा और वह संस्थान के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कर्त्तव्य आबंटित करेगा और ऐसे यथावश्यक पर्यवेक्षण और कार्यकारी नियंत्रण करेगा।

(3) शासी निकाय द्वारा अधिरोपित निर्बन्धों के अधीन रहते हुए ; निदेशक को संस्थान के समुचित प्रशासन के लिए इस अधिनियम, नियमों एवं इन विनियमों के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन संस्थान के किसी अधिकारी को ऐसे निर्बन्धों के अधीन जो शासी निकाय द्वारा उस पर आरोपित किए जाएं, के अध्यधीन करने की शक्ति होगी।

27. **पुरस्कार, छात्रवृत्तियां आदि देने की शक्तियां :** संस्थान ऐसे पुरस्कार, स्मारिकाएं, वृत्तिकाएं और छात्रवृत्तियां दे सकता है जो इसके द्वारा समय-समय पर विनिश्चिय की जाएं।

28. **अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश :** (1) संस्थान अपने द्वारा संचालन किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश करेगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए

साधारण आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों को प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम में आरक्षण प्रदान करेगा।

(2) संस्थान में पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर एवं स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों द्वारा संदेय शुल्क अनुसूची 2 के अनुसार होंगे।

29. **उपाधियां और डिप्लोमा प्रदान करना :** संस्थान ऐसी उपाधियां और डिप्लोमा दे सकेगा जो समय-समय पर संस्थान द्वारा विनिश्चय किए जाएं।

30. **परीक्षा का संचालन :** निदेशक द्वारा उतनी संख्या में पर्यवेक्षकों, अधीक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकेगी जो संस्थान की प्रवेश तथा व्यावसायिक परीक्षा का संचालन करने के लिए आवश्यक हो और उन्हें अनुसूची 3 में प्रदर्शित दर पर पारिश्रमिक दिया जाएगा।

31. **अस्पताल में ठहराव :** संस्थान अनुसूची 4 में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभार करेगा।

32. **कर्मचारियों का पूर्ण कालिक सेवक होना :** जब तब किसी मामले में, यदि वह अन्यथा स्पष्टता उपबंधित न किया गया हो, संस्थान के किसी कर्मचारी का पूर्णकालिक संस्थान के अधीन होगा और वह अतिरिक्त पारिश्रमिक के दावों के बिना संस्थान के समुचित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी रीति से नियोजित किया जा सकेगा।

33. **स्थायी और अस्थायी पद :** संस्थान की सेवा में पद (i) स्थायी पद अर्थात् किसी सीमा या समय के बिना स्वीकृत वेतन की निश्चित दर प्राप्त करने वाले पद, या (ii) अस्थायी पद अर्थात् सीमित समय के लिए स्वीकृत वेतन की निश्चित दर प्राप्त करने वाले पद, अथवा (iii) कार्य के समापन के लिए सीमित समय हेतु स्वीकृत वेतन की निश्चित दर प्राप्त करने वाले निर्धारित वर्ग/निर्धारित वर्ग (नियमित) पद होंगे।

34. **पदों का वेतनमान :** संस्थान में विभिन्न पदों और वेतनमानों का ब्यौरा संलग्न अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।

35. **नियुक्ति के लिए अर्हताएं :**

(1) विभिन्न पद जिनके अंतर्गत संकाय पद भी है, पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति आयु शैक्षणिक अर्हता और अनुभव तथा संस्थान में उनकी सेवा शर्तें अनुसूची 6 में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

(2) निदेशक, संस्थान के अधीन या तो सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा पद और सेवाओं में रिक्तियों को भरने में केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में रिक्तियों को भरने में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों या अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के पक्ष में किए गए आरक्षण को लागू करेगा।

(3) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से अनुसूची 7 में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार फीस प्रभारित करेगा।

36. **परिवीक्षा की अवधि :** किसी मामले में जब तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया गया हो, सभी कर्मचारी दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगे। कर्मचारी द्वारा

संतोषप्रद सेवा प्रदान किया जाना अपेक्षित होगा जिसके न होने पर उसकी सेवाएं किसी भी समय बिना किसी सूचना के या कारण बताए बिना समाप्त की जा सकेगी। तथापि, नियुक्ति प्राधिकरण परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।

37. ज्येष्ठता : प्रत्येक प्रवर्ग में संस्थान के कर्मचारियों की ज्येष्ठता केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अवधारित होगी।

38. छुट्टी: संस्थान के अस्थायी और स्थायी कर्मचारी ऐसे छुट्टी तथा छुट्टी वेतन के हकदार होंगे जो कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार के तत्संबंधी कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय है।

परन्तु यह कि उक्त केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रवर्गों के अध्यापन कर्मचारिवृंद को अवकाश विभाग में सेवारत माना जाएगा, नामतः-

1. आचार्य ;
2. अपर आचार्य ;
3. सह आचार्य ;
4. सहायक आचार्य ;
5. चिकित्सा अधीक्षक ;
6. प्राचार्य, परिचर्या कालेज ;
7. उप प्राचार्य, परिचर्या कालेज ;
8. प्राध्यापक ;

इस प्रयोजन के लिए नियमित अवकाश शासी निकाय द्वारा समय-समय पर लिए गए विनिश्चय अनुसार होगा।

परन्तु यह और कि विदेशी सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर संस्थान के किसी पदधारी को उसकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों में यथाअनुबंधित अवकाश नियमों द्वारा शासित होंगे।

39. **कर्त्तव्य से अनुपस्थिति :** जब तक असाधारण परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया गया हो, संस्थान का कोई स्थायी कर्मचारी विदेशी सेवा पर होने या पांच वर्षों से अधिक समय तक निलंबन, जिसके अन्तर्गत छुट्टी की अवधि भी है के कारण के बिना अपने पद से अनुपस्थित नहीं होगा।

40. **अधिवर्षिता:** (1) अध्यापन आयुर्विज्ञान संकाय को छोड़कर संस्थान के कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु साठ वर्ष होगी ;

परन्तु आयुर्विज्ञान और वैज्ञानिक विशेषज्ञों को सेवा में विस्तार मंजूर किया जा सकेगा। मामलेवार आधार पर बासठ वर्ष की आयु तक, उन व्यक्तियों के मामलों में अपवादस्वरूप प्रतिभा-संपन्न हैं कारणों को लेखबद्ध करते हुए और संबंधित व्यक्ति की शारीरिक स्वस्थता तथा सतत दक्षता के अध्यधीन दी जा सकती है।

(2) संस्थान के अध्यापन आयुर्विज्ञान संकाय के सदस्यों की अधिवर्षिता की आयु पैंसठ वर्ष होगी।

(3) उप-विनियमों (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसा करना जनहित में है, तो उसे संस्थान के किसी कर्मचारी को कम-से-कम तीन मास का लिखित में सूचना अथवा ऐसी सूचना के बदले में तीन मास के वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार होगा -

(i) यदि वह समूह क या समूह ख सेवा में या पद पर है और पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व संस्थान की सेवा में शामिल हुआ है तो पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् ; और

(ii) किसी अन्य मामले में , पचपन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् ;

(4) (क) संस्थान का कोई कर्मचारी यदि वह समूह क या समूह ख सेवा में या पद पर है और वह पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने से पहले सेवा में शामिल हुआ है, तो पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् और सभी अन्य मामलों में पचपन वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी को कम-से-कम तीन मास की लिखित में सूचना देकर सेवानिवृत्ति ले सकेगा।

(4) (ख) नियुक्ति प्राधिकारी निलंबन के अधीन किसी कर्मचारी जो इस उप-विनियम के अधीन सेवानिवृत्ति चाहता है, को अनुमति देने से इनकार करने के लिए मुक्त होगा।

41. पेंशन और अभिदायी भविष्य निधि :

(1) संस्थान के कर्मचारियों सिवाय उनके जो संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर हैं या विदेशी सेवा वाले कर्मचारी हैं, जिन्होंने संस्थान के कर्मचारी बनने के विकल्प का प्रयोग करने से पूर्व 1 जनवरी, 2004 से पहले केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्त थे और वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन पेंशन और अन्य पेंशन संबंधी लाभों के हकदार हैं, को उक्त नियमों द्वारा शासित किया जाना जारी रहेगा।

(2) संस्थान के कर्मचारी सिवाय उनके जो प्रतिनियुक्ति पर हैं या विदेशी सेवा वाले कर्मचारी है, किन्तु उसके अन्तर्गत वे भी हैं जो संस्थान का कर्मचारी बनने के विकल्प का प्रयोग करने से पहले केन्द्रीय सरकार के अधीन 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त किए गए थे, केन्द्रीय सरकार के अधीन उक्त 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में विद्यमान योजनाओं के संयोजन पर संस्थान द्वारा बनाई गई योजना द्वारा शासित होगें।

42. **आचरण, अनुशासन और शास्तियां :**

(1) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम, 1965 के भाग 4 (निलंबन), भाग 5 (शास्तियां और अनुशासनिक प्राधिकारी), भाग 6 (शास्ति लगाने की प्रक्रिया, भाग 7 (अपील) और भाग 8 (पुनर्विलोकन) संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

परन्तु इस विनियम के प्रयोजन के लिए :

(क) संस्थान के समूह क, समूह ख, समूह ग तथा समूह घ के पद क्रमशः केन्द्रीय सिविल सेवा समूह क, समूह ख, समूह ग तथा समूह घ पदों के अनुरूप होंगे।

(ख) संस्थान के विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकरण, आरोपित की जाने वाली शास्तियों के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी अनुसूची 8 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

(ग) संस्थान द्वारा उधार लिए गए केन्द्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के क्रमशः नियम 20 और 21 के उपबंध लागू होंगे और संस्थान उपर्युक्त दो नियमों के प्रयोजन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य सरकार, के कार्यों का निर्वहन करेगा।

(घ) किसी भी मामले में संघ लोक सेवा आयोग के साथ कोई परामर्श आवश्यक नहीं होगा।

43. **सेवा की अन्य शर्तें :** उन मामलों के संबंध जो इस विनियम में उपबन्धित नहीं है में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर यथालागू नियम जैसे सेवा की सामान्य शर्तें, वेतन, जिसके अंतर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते, छुट्टी वेतन, पद ग्रहण समय, विदेश सेवा अवधि भी

है, और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेश तथा विनिश्चय संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

44. **पुनर्नियोजित व्यक्तियों का वेतन :** कोई व्यक्ति जो संस्थान की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् संस्थान में नियोजित किया जाए या किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार या सरकार द्वारा प्रशासित किसी कानूनी अथवा स्थानीय निकाय का हो, का वेतन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों और आदेशों के अनुसार विहित वेतनमान में नियत किया जाएगा।

45. **संस्थान का कर्मचारी न बनने की इच्छा करने वाले कर्मचारियों का समायोजन :** (1) अधिनियम की धारा 28 (1) की उपधारा (1) के अधीन एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर संस्थान का कर्मचारी न बनने की इच्छा करने वाले कर्मचारी और अधिशेष के रूप में दिए गए कर्मचारियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन किसी कार्यालय में स्थित किसी पद में रिक्ति पर समायोजित किया जाएगा और उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समतुल्य वेतनमान पर उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

(2) जिन कर्मचारियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन किसी पद में किसी रिक्ति पर समायोजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (अधिशिष्ट कर्मचारी का पुनःअभिनियोजन) नियम, 1990 के उपबंधों के अनुसार पुनः अभिनियोजित करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पास रखा जाएगा।

46. **संस्थान के भवन और भूखण्ड :**

(1) संस्थान अपने भूखण्डों और भवनों का उपयोग संस्थान के प्रयोजन के लिए करेगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए, उन्हें ऐसे व्यक्तियों अथवा अधिकारियों को अधिभोग के लिए आबंटित कर सकेगा जो शासी निकाय विनिश्चय करे।

(2) संस्थान के कर्मचारी अनुसूची -9 में अधिकथित आवास के आबंटन के हकदार होंगे।

47 कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

संस्थान के कर्मचारी जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्त व्यक्ति और परिवार के सदस्य भी हों, जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कर्मचारी स्वास्थ्य योजना में स्वीकार्य चिकित्सा सहायता के हकदार होंगे। वे ऐसे अंशदान का संदाय भी करेंगे जो उस स्कीम के अधीन अपेक्षित है। स्कीम का ब्यौरा अनुसूची-4 है।

48 संस्थान द्वारा या उसके विरूद्ध कार्यवाहियां - परिसीमा के अधीन संस्थान का शासी निकाय या संस्थान का निदेशक संस्थान के लिए और उसकी ओर से वाद या आवेदन प्रस्तुत करने या अन्य सिविल और आपराधिक कार्यवाहियां शुरू करने और उसके लिए वाद चलाने तथा ऐसे प्रयोजन के लिए अन्य वाद पत्रों, याचिकाओं, अपीलों या अन्य दस्तावेजों जो उसके लिए आवश्यक हो सकते हैं पर हस्ताक्षर करने, निष्पादित करने, अथवा उन्हें सत्यापित करने, शपथ लेने, शपथपत्र देने और समझौता करने, पंचाट को निर्दिष्ट करने और वाद अथवा अन्य कार्यवाही में प्रतिवाद करने, जो संस्थान के विरूद्ध दायर किया जा सकता है और दावे पर मुकदमा चलाने अथवा अपील अथवा मूल न्यायालय अथवा किसी अधिकारी, चाहे वह सिविल, आपराधिक, राजस्व न्यायालय अथवा कार्यालय में हो के समक्ष हो अथवा आयकर प्राधिकारियों के समक्ष प्रतिवाद करने और ऐसे प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता, प्लीडर, सालिसीटर अथवा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पैनल से अभिकर्ता नियुक्त करने के लिए सक्षम होगा ।

अनुसूची-1

जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के निदेशक, अध्यक्ष और शासी निकाय की शक्तियां

(कृपया विनियम 12, 22, 25-- देखें)

क्र. सं.	शक्तियों का स्वरूप	शक्तियों का विस्तार		शासी निकाय	संस्थान निकाय	अभ्युक्तियां
		निदेशक	अध्यक्ष			
1	2	3	4	5	6	7
1	स्वीकृत बजट से निधियों के पुनर्विनियोजन की शक्तियां	पूरी शक्तियां				किसी भी पुनर्विनियोजन संबंधी रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए शासी निकाय के समक्ष इसकी तत्पश्चात् होने वाली बैठक में रखा जाएगा।
2	(क) धोखाधडी चोरी आदि के कारण भंडार सामग्री की गैर वसूलनीय कीमत की क्षति के बराबर धन को बट्टे खाते में डालना।	प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए तक	प्रत्येक मामले में 2 लाख रूपए तक	पूरी शक्तियां	-	-
	(ख) आय बंध पत्रों के धन अथवा न वसूले जा सकने वाले अग्रिम की क्षति	प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए तक	प्रत्येक मामले में 2 लाख रूपए तक	पूरी शक्तियां	-	-
	(ग) भंडार गृहों की कीमत में कमियां और अवमूल्यन	प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए तक	प्रत्येक मामले में 2 लाख रूपए तक	पूरी शक्तियां	-	-

3	(i) आकस्मिक व्यय, अथवा (ii) भंडारगृहों, स्टेशनरी की खरीद तथा फार्मों की प्रिंटिंग के लिए व्यय करना	स्वीकृत बजट के भीतर पूरी शक्तियां	पूरी शक्तियां	-	-	-
4 भवन का रख-रखाव तथा छोटे-मोटे काम:						
	(क) मूल निर्माण कार्य एवं विशेष मरम्मतें	बिना किसी वार्षिक उच्चतम सीमा के प्रत्येक मामले में 50.00 लाख रूपए तक	प्रत्येक मामले में 1 करोड रूपए तक	पूरी शक्तियां	-	-
	(ख) साधारण मरम्मतें	पूरी शक्तियां	-	पूरी शक्तियां	-	-
	(ग) वार्षिक मरम्मतें	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
5	(i) वाहन की खरीद के लिए तथा (ii) यात्रा भत्ते के लिए अग्रिम मंजूर करने की शक्ति	स्वयं को छोडकर अधिकारियों तथा कार्मिकों के संबंध में पूरी शक्तियां	निदेशक के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
6	अंशदायी अथवा सामान्य भविष्य निधि में से अग्रिम अथवा न लौटाए जाने वाले धन निकासी मंजूर करने की शक्तियां	स्वयं उसे छोडकर अधिकारियों तथा कार्मिकों के संबंध में पूरी शक्तियां	निदेशक के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
7	लेखों से संबंधित शासकीय अभिलेखों को नष्ट करना	सामान्य वित्तीय नियमावाली परिशिष्ट '13 के भाग II में निर्दिष्ट शर्तों	-	-	-	-

		के अध्यधीन पूरी शक्तियां				
8	संस्थान के कार्मिकों के वेतन और भत्तों का माह के अंतिम कार्यदिवस को सीधा भुगतान करने की शक्तियां जहां माह के अंतिम दिन सार्वजनिक छुट्टी वाले हों।	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
9	स्टाफ के किसी भी अवधि के अर्वितरित वेतन और भत्तों को तीन माह से अनधिक अवधि के लिए रोकने का आदेश देने की शक्तियां	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
10	निकटतम अथवा सबसे सस्ते मार्ग को छोडकर अन्य मार्ग द्वारा माइलेज भत्ते की अनुमति प्रदान करना	पूरी शक्तियां बशर्ते रूट का चयन संस्थान के हित में हो	-	-	-	-
11	यह निर्णय करना कि देश के भीतर कोई विशिष्ट अनुपस्थिति, अनुपस्थिति है अथवा ड्यूटी	शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए पूरी शक्तियां और अन्य मामलों में एक माह के लिए	शैक्षणिक के अलावा सभी मामलों में एक माह से ऊपर पूरी शक्तियां			
12	अपने स्वयं के और अन्य अधिकारियों के लिए यात्रा भत्ते के बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करना	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
13	1. आकस्मिक अवकाश प्रदान करना	स्वयं को छोडकर सभी अधिकारियों के संबंध में	निदेशक को आकस्मिक अवकाश देने की पूरी	-	-	-

		पूरी शक्तियां	शक्तियां			
	ii. अवकाश प्रदान करना	समूह ख, ग और घ के कार्मिकों के लिए पूरी शक्तियां और समूह क के लिए नब्बे दिनों से अधिक नहीं	समूह 'क' के कार्मिकों के लिए नब्बे दिनों से अधिक के लिए पूरी शक्तियां ओर निदेशक के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
	iii. विशेष विकलांगता अवकाश	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
	iv. मातृत्व अवकाश तथा अस्पताल अवकाश	निदेशक के अलावा पूरी शक्तियां	निदेशक के मामले में पूरी शक्तियों	-	-	-
	v. अध्ययन अवकाश	समूह ख, ग और घ कार्मिकों के लिए पूरी शक्तियां, दो वर्षों से अधिक नहीं	शैक्षिणिक पदों समेत समूह क के लिए पूरी शक्तियां	-	-	-
14	यह निदेश देता कि आवास को छुट्टी पर गये हुए अधिकारी के कब्जे में माना जाए।	मूल प्रतिनियुक्ति अथवा स्वीकृत अवकाश की अवधि के लिए पूरी शक्तियां	पूरी शक्तियां	-	-	-
15	संस्थान के किसी	पूरी शक्तियां	-	-	-	-

	कार्मिक को अनुसचिवीय कार्मिक घोषित करना					
16	किसी लिअन को निलंबित करना	पूरी शक्तियां बशर्ते कि वह उन पदों पर नियुक्ति करने के लिए अधिकृत हो जिन पर लिअन रखा जाता है।	-	-	-	-
17	किसी संस्थान कर्मचारी के लिअन का एक पद से दूसरे में स्थानान्तरण करना	पूरी शक्तियां बशर्ते कि वह सम्बन्धित दोनों पदों पर नियुक्तियां करने के लिए अधिकृत हो	-	-	-	-
18	संस्थान के कार्मिक का एक पद से दूसरे में स्थानान्तरण करना	समूह ख, ग और घ कार्मिकों के मामले में पूरी शक्तियां	समूह क के कार्मिकों के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
19	वित्तीय नियम 9(6)(ख) के अंतर्गत डयूटी पर समझे जाने वाले कार्मिक के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण	समूह ख, ग और घ के कार्मिकों के मामले में पूर्ण शक्तियां	समूह क के कार्मिकों के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
20	वेतनवृद्धियों के लिए असाधारण अवकाश की गणना करना	समूह ख, ग और घ के कार्मिकों के मामले में पूरी शक्तियां	समूह क के कार्मिकों के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
21	चयन समिति की	तीन अग्रिम	तीन अग्रिम	-	-	-

	सिफारिशों पर अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान करने की शक्ति	वेतनवृद्धियों तक की पूरी शक्तियां	वेतनवृद्धियों से अधिक की पूरी शक्तियां			
22	स्थानापन्न रूप में नियुक्त किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन को वेतनमान की न्यूनतम स्टेज से कम करने की शक्तियां	समूह ख, ग और घ कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्तियां	समूह क कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
23	मानदेय मंजूर करना अथवा मानदेय स्वीकार करने की अनुमति देना	सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए मूल नियम के नियम 46 (ख) के उपबंधों और उसके अन्तर्गत समय समय पर जारी किए गए भारत सरकार के आदेशों के अनुसार प्रत्येक मामले में अधिकतम 5000/- रूपये प्रतिवर्ष तक की पूरी शक्तियां। आवर्ती मानदेयों के मामले में यह सीमा किसी व्यक्ति को	-	-	-	-

		एक वर्ष में दिए गए कुल आवर्ती भुगतानों पर लागू होगी। समूह ख कर्मचारियों के मामले में मामला शासी निकाय को सूचित किया जाएगा।				
24	किसी कर्मचारी को पद को अस्थायी रूप से धारण करने अथवा एक से अधिक पदों पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करने और सहायक पदों पर वेतन तथा लिए जाने वाले अनुकंपा भत्ते की रकम नियत करने की शक्तियां	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सदृश वर्गों पर लागू नियमों के अनुसार	-	-	-	-
25	छुट्टी से लौटने से पहले स्वस्थता चिकित्सा प्रमाणपत्र मांगने की शक्ति	निदेशक के मामले को छोडकर पूरी शक्तियां	निदेशक के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
26	ओवर स्टे को कवर करने के लिए छुट्टी बढ़ाना	पूरी शक्तियां बशर्ते छुट्टी पर गया कर्मचारी लौटने के बाद संस्थान के प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।	-	-	-	-
27	भारत के भीतर विदेश	परिशिष्ट 4	समूह क	-	-	-

	सेवा में स्थानांतरित करने और विदेश सेवा में वेतन नियत करने की मंजूरी देना।	मूल और अनुपूरक नियमावली का संकलन खण्ड-।। में क्रम संख्या 30 के सामने कालम 5 में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन समूह ख, ग और घ के कर्मचारियों के संबंध में पूरी शक्तियां	कर्मचारियों के संबंध में पूरी शक्तियां			
28	संस्थान के कर्मचारी जो विदेश सेवा से प्रत्यावर्तित होने से पूर्व छुट्टी लेता है, के प्रत्यावर्तन की तारीख के बारे में निर्णय करना	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
29	व्यक्तिगत मामलों में संस्थान की सेवा में नियुक्ति से पूर्व स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण पत्र की छूट देने की शक्तियां	समूह ग और घ कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्तियां	-	समूह क और ख अधिकारियों के संबंध में पूरी शक्तियां	-	-
30	अनुपूरक नियमों के उपबंधों के अध्यधीन कार्य शुरू करने जिसके लिए फीस दी जाती है और फीस स्वीकार करने की मंजूरी देने की शक्ति	पूरी शक्तियां				

31.	अंशकालिक कर्मचारियों को भुगतान की गई फीस (यात्रा भत्ते के प्रयोजनार्थ) ग्रेड दो घोषित करना	-	पूरी शक्तियां	-		
32.	दो मार्गों में से लघुतम अथवा सबसे सस्ते के बारे में निर्णय करना	पूरी शक्तियां	-	-		
33.	किसी स्टेशन के मामले में यात्रा के शुरू के स्थान और समाप्त होने के स्थान के बारे में निर्णय करना	पूरी शक्तियां	-	-		
34.	संदेह अथवा कठिनाई के मामले में स्टीमर श्रेणी के स्थान जिसके लिए संस्थान का कर्मचारी पात्र है, घोषित करना	पूरी शक्तियां	-	-		
35.	12300/- रुपए से कम वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों द्वारा वायुमार्ग से यात्रा करना	पूर्ण तात्कालिकता और आवश्यकता के मामले में पूरी शक्तियां	-	-		
36.	दौरे पर ठहरने की अवधि को दस दिनों तक सीमित करने के नियम से छूट प्रदान करने की शक्तियां	निदेशक को छोड़कर नब्बे दिनों तक पूरी शक्तियां	निदेशक के मामले में नब्बे दिन तक पूरी शक्तियां और अन्य के लिए नब्बे दिन से ऊपर के लिए पूरी शक्तियां	-		
37.	यह घोषणा करना कि नियंत्रक अधिकारी कौन होगा और इसके मार्गदर्शन के नियम बनाना	पूरी शक्तियां बशर्ते संस्थान के कर्मचारी को उसका स्वयं का नियंत्रक अधिकारी घोषित न किया जाए।				शासी निकाय के किसी दिशा निर्देश के अध्यधीन

38.	जब किसी चिकित्सा मंडल ने यह सूचित किया हो कि ड्यूटी पर लौटने के लिए किसी कर्मचारी के फिट होने की कोई उचित संभावना नहीं है, तो उसे छुट्टी मंजूर करना।	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
39.	उस मार्ग को छोड़कर जिसको यात्री सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, अन्य मार्ग द्वारा ज्वाइनिंग समय की गणना करने की अनुमति देना।	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
40.	ज्वाइनिंग समय को तीस दिन की अधिकतम अवधि के भीतर बढ़ाना।	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
41.	लिपिकीय त्रुटि के मामले में संस्थान के समूह ग और घ के कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड में दी गई जन्म तिथि को बदलने की शक्तियां	समूह ग और घ कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्तियां	समूह क और ख कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
42.	वेतन के बकाया आदि जो तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो के दावों की जांच करने की मंजूरी देने की शक्ति	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
43.	स्थायी पेशगियां मंजूर करने की शक्ति	निदेशक को छोड़कर पूरी शक्तियां	निदेशक के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
44.	अप्रयुक्त, फालतू और अनुपयोगी आहार सामग्री का व्ययन	निदेशक निराकरण बोर्ड की सलाह पर पूरी शक्तियों का प्रयोग करेगा।	-	-	-	-
45.	अपवाद के मामलों में	इन मामलों में	-	-	-	-

	संस्थान के कर्मचारी को मंजूर की गई पेशगियों के पुनर्भुगतान के निबंधनों को अंतरित करने की शक्ति	जिनमें वह पेशगियां मंजूर करने के लिए सक्षम है, पूरी शक्तियां बशर्ते ब्याज वाली पेशगियों के मामले में पुनर्भुगतान की अवधि में वृद्धि न की जाए।				
46.	संस्थान से प्राप्त अग्रिम से खरीदे गए मोटर वाहनों की बिक्री अथवा स्थानांतरण को प्राधिकृत करने की शक्ति	सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 256 और उसके बादभारत सरकार के निर्णयों में यथोल्लिखित पूरी शक्तियां	-	पूरी शक्तियां	-	-
47.	कानूनी वादों जिनमें संस्थान एक पक्षकार है, के लिए अग्रिम मंजूर करने की शक्ति	पूरी शक्तियां	-	-	-	शासी निकाय या संस्थान के किसी सामान्य दिशा निर्देश के अध्यधीन
48.	रोकड़, भंडार सामग्री की अभिरक्षा रखने वाले अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निष्पादित की जाने वाली प्रतिभूति का फार्म निर्धारित करने की शक्ति	वित्त समिति के अनुमोदन के अध्यधीन पूरी शक्तियां	-	-	-	-
49.	बजट प्रावधानों के अध्यधीन कार्यों को	निधियों की उपलब्धता के	-	-	-	-

	छोड़कर आकस्मिकता और भंडार सामग्री पर व्यय करने की शक्ति	अध्यधीन कार्यों को छोड़कर आकस्मिकता और भंडार सामग्री खरीद पर निदेशक को पूरी शक्तियां				
50.	मुख्यालय से पूरी अवधि के लिए अनुपस्थित रहने हेतु दैनिक भत्ते को माइलेज भत्ते से बदलने की अनुमति देने की शक्ति	निदेशक को छोड़कर पूरी शक्तियां	निदेशक को छोड़कर पूरी शक्तियां			
51.	जब संस्थान में संस्थान के किसी कर्मचारी को लोकोमोशन के साधन प्रदान किए जाते हैं लेकिन वह इसके इस्तेमाल अथवा प्रोपल्शन के सभी खर्चों का भुगतान करता है तो किराये अथवा प्रभारों की रकम नियत करने की शक्ति	पूरी शक्तियां				
52.	जांच आयोग में उपस्थित होने वाले गैर-सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता प्रदान करना और उनका ग्रेड नियत करना	पूरी शक्तियां				
53.	पहाड़ी स्टेशन पर दस दिन से अधिक अवधि तक ड्यूटी पर ठहरने की मंजूरी देने की शक्ति	सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए तीस दिन तक पूरी शक्तियां	पूरी शक्तियां			
54.	छुट्टियों सहित छुट्टी के दौरान की गई यात्रा के लिए मंजूरी देने की शक्ति	निदेशक से छोड़कर सभी के संबंध में पूरी शक्तियां	निदेशक के संबंध में पूरी शक्तियां	-	-	-
55.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करने के	पूरी शक्तियां यदि	पूरी शक्तियां	-	-	-

	लिए संस्थान के किसी प्रतिनियुक्त कर्मचारी को स्वीकार्य यात्रा भत्ते की दर के बारे में निर्णय करने की शक्ति	प्रशिक्षण की अवधि नब्बे दिन से अधिक न हो।				
56.	आवास आबंटित करना	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
57.	संस्थान के अधिकारियों को बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, विचार गोष्ठियों आदि में भाग लेने हेतु अथवा लघु नियुक्तियों पर विदेश जाने के लिए अनुमति प्रदान करने की शक्ति	किसी प्रकार की देय और तीस दिन की अवधि तक स्वीकार्य छुट्टी के आधार पर तथा यह कि संबंधित संकाय सदस्य को बैठक आदि प्रायोजकों से समुचित निमंत्रण प्राप्त हुआ हो, निदेशक के मामले को छोड़कर पूरी शक्तियां ।	कर्मचारियों के मामले में तीस दिन से अधिक के लिए पूरी शक्तियां और निदेशक के बारे में पूरी शक्तियां			केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए कार्यकारी आदेशों के अध्यधीन
58.	संकाय के सदस्यों द्वारा विदेश में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों अथवा विचार गोष्ठियों अथवा सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए अनुपस्थिति को ड्यूटी के रूप में मानने की शक्तियां	यात्रा की अवधि सहित अधिकतम तीस दिनों तक पूरी शक्तियां	तीस दिन के ऊपर पूरी शक्तियां	-	-	केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए कार्यकारी आदेशों के अध्यधीन
59.	संस्थान के कर्मचारियों के कहीं भी नियुक्त होने पर संस्थान में उनके लिअन को	समूह ख, ग और घ के पदों के लिए दो वर्षों की	समूह क पदों के लिए अधिकतम दो वर्षों तक पूरी	समूह क पद के लिए दो	-	-

	बनाए रखने की शक्तियां	अधिकतम अवधि, एक बार में एक वर्ष तक की पूरी शक्तियां	शक्तियां	वर्ष से अधिक के लिए पूरी शक्तियां		
60.	संस्थान के अधिकारियों के संस्थान के कार्य के संबंध में विदेश जाने तथा अनुपस्थिति को ड्यूटी के रूप में मानने के अनुमति देने की शक्तियां	तीस दिन तक पूरी शक्तियां बशर्ते संस्थान के कार्य के संबंध में बिताई गई अवधि जिसे ड्यूटी माना गया हो को छोड़कर कोई वित्तीय निहितार्थ न हो।	तीस दिन से अधिक के लिए पूरी शक्तियां	-	-	केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों के अध्यधीन
61.	पदों पर नियुक्ति करने की शक्तियां (स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ नियम, 1967 के नियम 7 के अध्यधीन)					
i. तदर्थ अथवा अस्थायी	समूह ख ग और घ पदों के लिए पूरी शक्तियां। परिचर्या और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक तथा सहायक आचार्य के लिए एक वर्ष से अधिक नहीं।	संकाय पदों को छोड़कर सभी समूह क पदों के लिए पूरी शक्तियां। आचार्यों के लिए एक वर्ष से अधिक और नर्सिंग एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकी के प्राध्यापक तथा सहायक आचार्य				

		के लिए एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए				
ii. स्थाय †	समूह ग और घ पद	समूह ख पद	समूह क पदों के लिए पूरी शक्तियां			
62.	अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों के लिए अस्थायी रिक्तियों पर पुनः रोजगार देने की मंजूरी देना।	समूह ग कर्मचारियों के मामले में साठ वर्ष की आयु तक, एक बार में एक वर्ष तक पूरी शक्तियां	समूह ख अधिकारियों के मामले में साठ वर्ष की आयु तक एक बार में एक वर्ष तक पूरी शक्तियां	-	-	-
53.	सरकारी छुट्टियों को छुट्टियों के साथ मिलाने के संबंध में अनुपूरक नियम 209 के उपबंध (उपबंधों) को छोड देना अनुपूरक नियम 211 से विचलन को प्राधिकृत करना।	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
64.	परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद समूह क और ख अधिकारियों की पुष्टि करने की शक्ति ।	निदेशक के मामले को छोड़कर पूरी शक्तियां ।				
65.	संस्थान के समूह ख कर्मचारियों का त्यागपत्र स्वीकार करने की शक्तियां	पूरी शक्तियां				
66.	समूह 'क' कर्मचारियों का त्याग पत्र स्वीकार करने की शक्तियां	प्रोफेसरों और अपर प्रोफेसरों के मामले को छोड़कर सभी समूह क पदों के संबंध में पूरी शक्तियां	निदेशक (संस्थान द्वारा अभिपुष्टि करने के अध्यधीन) आचार्य और अपर आचार्य के मामले में पूरी शक्तियां			

67.	सामान्य नियमों के अधीन संस्थान के कर्मचारियों का वेतन नियत करने की शक्तियां	पूरी शक्तियां				
68.	अनुसंधान अनुदान स्वीकार करने की शक्तियां यदि वह तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए हों	पूरी शक्तियां बशर्ते यह भारत सरकार की सामान्य नीति के अध्यधीन हो।				
69.	केन्द्र अथवा राज्य सरकार के प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के संबंध में निबंधन और शर्तों जहां शर्तें सामान्य प्रकृति की हों, को स्वीकार करने की शक्ति	पूरी शक्तियां				
70.	ज्येष्ठ रेजीडेंट/ट्यूटरों के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी प्रदान करने की शक्ति	पूरी शक्तियां				
71.	अनुसंधान योजनाओं के कर्मचारियों को उनकी संस्थान के नियमित पदों पर नियुक्ति होने पर मूल नियम 27 के अधीन अग्रिम वेतनवृद्धियां मंजूर करने की शक्ति	प्रत्येक मामले की मेरिट के आधार पर पूरी शक्तियां				
72.	उस मामले में जहां भत्ता दैनिक भत्ते के स्वरूप में मिलता हो और कोई मानदेय शामिल न हो, अनुपूरक नियम 12 के उपबंधों में छूट देने की शक्ति	पूरी शक्तियां	-	-	-	केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अध्यधीन
73.	यह घोषणा करना कि संस्थान के किसी कर्मचारी	समूह ख, ग और घ कर्मचारियों के	समूह क कर्मचारियों के	-	-	-

	के वेतन में सड़क द्वारा की गई सभी यात्राओं के लिए मुआवजा शामिल हो।	मामले में पूरी शक्तियां	मामले में पूरी शक्तियां			
74.	इस संदेह के मामले में कि क्या कोई कर्मचारी अवकाश के दौरान विभाग में कार्य कर रहा है, निर्णय करना।	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
75.	किसी कर्मचारी को भारत के किसी भाग में ड्यूटी पर जाने के लिए प्राधिकृत करना।	प्रोफेसरों को छोड़कर समूह क, ख, ग और घ कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्तियां	प्रोफेसरों के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
76.	वेतन आदि के बकाया जो तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं लेकिन छह वर्षों से अधिक अवधि से लंबित नहीं हों, के दावों की जांच करने की मंजूरी प्रदान करने की शक्ति	पूरी शक्तियां	अन्य मामलों में पूरी शक्तियां	-	-	-
77.	आकस्मिक व्यय के मामले में अधीनस्थ प्राधिकारियों को अनुदेश जारी करने की शक्ति	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
78.	वाहन की खरीद हेतु अग्रिम की मंजूरी देने की शक्ति	सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 199 से 218 में निर्धारित सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन संस्थान में स्थायी पदों वाले कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-	-
79.	साइकिल की खरीद के लिए मंजूर की गई अग्रिम राशि संस्थान को लौटाने के लिए किश्तों की संख्या को अधिकतम चौबीस तक बढ़ाने की शक्ति	पूरी शक्तियां	-	-	-	-

80.	संस्थान के कर्मचारियों को यात्रा, स्थानान्तरण आदि के लिए अग्रिम की मंजूरी की शक्ति	सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 231 से 234 में निर्धारित सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन संस्थान में स्थायी पदों वाले कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-	-
81.	प्रमुख त्योहारों के उपलक्ष्य में वेतन के अग्रिम भुगतान की मंजूरी की शक्ति	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
82.	संस्थान के पैसे की अभिरक्षा से सम्बन्धित नियम 109 (1) के उपबन्धों से विचलन प्राधिकृत करने की शक्ति	पूरी शक्तियां	-	-	-	शासी निकाय या संस्थान द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अध्यधीन
83.	अस्पताल के प्रभारों अथवा शुल्क तथा विद्यार्थियों से लिए जाने वाले अन्य प्रभारों का नियतन	-	-	संस्थान की स्थायी वित्तीय समिति की सिफारिशों पर पूरी शक्तियां	-	-
84.	i. प्रतिनियुक्ति के आधार पर समूह 'क' अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्तियां	-	शासी निकाय के अनुसमर्थन के अध्यधीन निदेशक की सिफारिशों पर पूरी शक्तियां	-	-	-
	ii. प्रतिनियुक्ति के आधार पर समूह 'ख' अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति	चयन समिति की सिफारिशों पर पूरी शक्तियां	-	-	-	शासी निकाय या संस्थान द्वारा अधिकथित किन्हीं विशेष-निदेशों के अध्यधीन

अनुसूची-2

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी

संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क (फीस) का ढांचा

क्रम संख्या	विवरण	एमबीबीएस	बी.एससी. (परिचर्या)	बी.एससी. (एमएलटी)	एमडी/एमएस	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री/डी.एम.	एम.एससी. (चिकित्सा जैव रसायन)	पीएच.डी.
1	शिक्षण शुल्क (प्रति वर्ष)	250.00	130.00	130.00	200.00	200.00	500.00	120.00	500.00
2	जागरण शुल्क (प्रति वर्ष)	800.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-
3	सुखसाधन शुल्क (प्रति वर्ष)	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00
4	जमानती राशि (वापसी योग्य)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5	विश्वविद्यालय विकास शुल्क (एक बारगी)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6	विश्वविद्यालय खेल-कूद शुल्क (प्रति वर्ष)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
7	विश्वविद्यालय रजिस्ट्री शुल्क (दाखिले के समय)	40.00	40.00	40.00	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00
8	विश्वविद्यालय पुस्तकालय शुल्क (प्रति वर्ष)	10.00	10.00	10.00	-	-	50.00	10.00	-
9	पट्टीकुलेट शुल्क (दाखिले के समय)	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	50.00
10	मान्यता शुल्क (दाखिले के समय)	75/180/450	75/180/450	75/180/450	180.00	180.00	180.00	180.00	200.00

11	संग्रह निधि (शिक्षण शुल्क का 5%) (प्रति वर्ष)	13.00	7.00	7.00	10.00	10.00	25.00	6.00	-
12	छात्रावास जमानती जमा (वापिसी योग्य)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
13	प्रतिस्थापन प्रभार (प्रति वर्ष)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
14	छात्रावास कक्ष का किराया (प्रति वर्ष)	2,316.00	2,316.00	2,316.00	-	-	-	2,316.00	2,316.00
15	विद्युत प्रभार (प्रति वर्ष)	72.00	72.00	72.00	-	-	-	72.00	72.00
16	भोजनालय जमा (वापिसी योग्य)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क								
	प्रथम वर्ष	1,515.00	प्रति पर्चा 125/-रू.	630.00	-	-	-	1,515.00	-
	द्वितीय वर्ष	1,765.00		630.00	-	-	-	1,515.00	-
	तृतीय वर्ष *	1,015.00		465.00	2,895.00	-	3,095.00	1,595.00	-
	चतुर्थ वर्ष *	2,395.00		-	-	-	-	-	
टिप्पण * एमबीबीएस अंतिम (भाग-II)									
** एमबीबीएस अंतिम वर्ष (भाग-II)									

अनुसूची 3

विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन हेतु पारिश्रमिक (स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर दोनों, की थ्योरी परीक्षाओं के लिए)

i.	समन्वयक	300.00 रूपए प्रति दिन
ii.	मुख्य पर्यवेक्षक/अधीक्षक/केन्द्र पर्यवेक्षक/अधीक्षक	150.00 रूपए प्रति दिन
iii.	सहायक पर्यवेक्षक/अधीक्षक	140.00 रूपए प्रति दिन
iv.	निरीक्षक	100.00 रूपए प्रति दिन
v.	चतुर्थ श्रेणी कर्मी	65.00 रूपए प्रति दिन

(तैयारी समेत)

II. विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक

क. स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम

एम.बी.बी.एस

बी.एससी. (परिचर्या)
थ्योरी का मूल्यांकन:

प्रति पर्चा (पेपर) प्रति परीक्षक 40/-रूपए
प्रैक्टीकल

प्रति परीक्षक प्रति परीक्षार्थी 30 रूपए, न्यूनतम प्रति परीक्षक 300 रूपए प्रति दिन।

अध्यक्ष-सह-संयोजक (परिणामों के लिए बोर्ड की बैठकों हेतु)

250 रूपए प्रति दिन तथा प्रति सदस्य बैठक शुल्क 100 रूपए

ख. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (आयुर्विज्ञान)

(i) डिग्री और डिप्लोमा:

थ्योरी मूल्यांकन:

प्रति अभ्यर्थी प्रति परीक्षार्थी 100 रूपए, न्यूनतम पारिश्रमिक 500 रूपए प्रति दिन
प्रैक्टरकल:

प्रति अभ्यर्थी प्रति परीक्षार्थी 85 रूपए, न्यूनतम पारिश्रमिक 500 रूपए प्रति परीक्षक

शोध प्रबन्ध सुधार (एमएस/एमडी/एमसीएच/डीएम और डिप्लोमा के लिए)

प्रति परीक्षक प्रति शोध प्रबन्ध 400 रूपए

(ii) एम.एससी (जीव-रसायन):

थ्योरी मूल्यांकन:

प्रति पर्चा 10 रूपए, न्यूनतम 150 प्रति परीक्षक

प्रैक्टीकल परीक्षा:

प्रति परीक्षक प्रति अभ्यर्थी 25 रूपए और प्रदेशन (प्रेस्क्रिप्सन) के लिए प्रति बैच 100 रूपए

शोध प्रबन्ध सुधार:

प्रति परीक्षक प्रति शोध प्रबन्ध 200 रूपए

(iii) पीएच.डी पाठ्यक्रम

बाहरी परीक्षक के लिए 500 रूपए

दिशानिर्देशक (गाइड) के लिए 500 रूपए | जन मौखिक परीक्षा (वाइवा) के लिए

प्रति सह दिशा निर्देशक 250 रूपए

शोध प्रबन्ध सुधार:

भारतीय परीक्षक के लिए 1000 रूपए प्रति उम्मीदवार

विदेशी परीक्षक के लिए 200 डालर प्रति उम्मीदवार

ग. प्रश्न-पत्र बनाने के लिए पारिश्रमिक:

एमडी/डिप्लोमा/डीएम/एमसीएच/एम.एससी (जैव-रसायन) के लिए 500 रूपए प्रति प्रश्न-पत्र

एम.बी.बी.एस. के लिए 400 रूपए प्रति प्रश्न पत्र

बी.एससी (एम.एलटी) के लिए 250 रूपए प्रति प्रश्न-पत्र

बी.एससी. (परिचर्या) के लिए 250 रूपए प्रति प्रश्न-पत्र

III. कुशल कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारिवृन्द के लिए पारिश्रमिक की सूची

क्रम संख्या	प्रवर्ग	अनुज्ञेय व्यक्तियों की संख्या	दर
1.	मुख्य पर्यवेक्षक	1	120 रूपए प्रति दिन
2.	कुशल सहायक	1	75 रूपए प्रति दिन
3.	सहायक अधीक्षक/कक्ष (हाल) अधीक्षक	1	75 रूपए प्रति दिन
4.	नर्स	1	50 रूपए प्रति दिन
5.	तकनीशियन	1	50 रूपए प्रति दिन
6.	वरिष्ठ परिचर	1	35 रूपए प्रति दिन
7.	कनिष्ठ परिचर	1	35 रूपए प्रति दिन
8.	कुली	1	35 रूपए प्रति दिन
9. *	रोगी	1	20 रूपए प्रति दिन
10.	आहार प्रभार	1	25 रूपए प्रति दिन प्रति रोगी
11.	पानीवाला	1	25 रूपए प्रति दिन
12.	सफाईवाला	1	25 रूपए प्रति दिन
13.	गैस मैन (जैव रसायन के लिए)	1	35 रूपए प्रति दिन

* एम.बी.बी.एस. (क्लीनिकल) - प्रति उम्मीदवार 2 रोगी

डिप्लोमा/एमडी/एमएस/डीएम/एमसीएच - प्रति उम्मीदवार 4 रोगी

अनुसूची 4

अस्पताल में ठहराव

बिस्तरों और प्रभारों का वर्गीकरण

	कक्ष का किराया	आहार प्रभार
सम्बद्ध स्नानागार और वातानुकूलित सुविधाओं सहित 'ए' वार्ड में एकल बिस्तर	150 रूपए	30 रूपए
सम्बद्ध स्नानगार सहित 'बी' वार्ड में एकल बिस्तर	100 रूपए	25 रूपए
सामान्य स्नानागार सहित 'सी' वार्ड में दो बिस्तर	50 रूपए	20 रूपए

1. पात्रता

प्राइवेट/विशेष वार्ड के लिए प्रभारों का भुगतान करने वाला कोई भी व्यक्ति भर्ती हो सकता है।

2. सरकारी कर्मचारियों के लिए पात्रता

संस्थान के कर्मी तथा अन्य सरकारी कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों में निम्नानुसार के अनुसार भर्ती होने के पात्र हैं:-

'सी' वार्ड	2550 रूपए से 5499 रूपए तक मूल वेतन वाले
'बी' वार्ड	5500 रूपए से 7999 रूपए तक मूल वेतन वाले
'ए' वार्ड	8000 रूपए और उससे ऊपर मूल वेतन वाले

3. बहिरंग रोगी

- जिन रोगियों की मासिक आय 2499 रूपए तक है, उनसे बहिरंग रोगी विभाग की सेवाओं/उपचार के लिए कोई प्रभार उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा।

- जिन रोगियों की मासिक आय 2500 रूपए और उससे अधिक है, उनसे बहिरंग रोगी विभाग की सेवाओं/उपचार के लिए प्रभार लिए जाएंगे।

- बहिरंग रोगी विभाग के सभी दन्त रोगियों से आय को ध्यान में रखे बिना (आय-निरपेक्ष) प्रभार लिया जाएगा।

- सभी अन्तः विभाग या बहिरंग रोगी विभाग के कैंसर पीड़ित रोगियों को उनकी आय को ध्यान में रखे बिना सभी, उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।

4. विकिरण विज्ञानी जाँच, प्रयोगशाला परीक्षणों, क्लीनिकल प्रक्रियाओं एवम् अन्य जांचों के लिए फीस उद्ग्रहण के लिए प्रभार

- 'ए' और 'बी' श्रेणी के विशेष वार्ड-बिस्तरों के लिए उपाबन्ध-2, 3 और 4 के अनुसार पूरा प्रभार।

- 'सी' श्रेणी विशेष वार्ड-बिस्तरों के लिए उपाबन्ध-2, 3 और 4 के अनुसार 50% प्रभार।

5. कृत्रिम उपकरणों के लिए प्रभार

कृत्रिम साधित्रों के लिए प्रभार, समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार वसूला जाएगा।

6. विद्यार्थियों, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और जूनियर रेजीडेंटस के लिए

- जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के विद्यार्थी और अनिवार्य गृह चिकित्सकों (हाऊस सर्जन) 'सी' श्रेणी के आवास के पात्र होंगे तथा उनसे कोई प्रभार (आहार (भोजन) सहित) नहीं लिया जाएगा।

- आहार प्रभारों को छोड़ कर, जूनियर रेजीडेंट 'सी' श्रेणी में मुफ्त उपचार पाने के पात्र होंगे।

7. कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) और सीनियर रेजीडेंटस के लिए

- समय-समय पर यथासंशोधित सी.एस. (एम.ए.) नियम, 1944 के अनुसार सीनियर रेजीडेंटस और उनके परिवारों समेत जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के कर्मचारिवृन्द से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आने वाले/राष्ट्रीय कैडेट कोर समेत सेवारत रक्षा कर्मी आहार के अलावा मुफ्त उपचार के पात्र होंगे।

8. जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए

सेवानिवृत्ति के बाद जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के कर्मी/उनके पति/पत्नी चिकित्सा परिचर्या की उन्हीं सुविधाओं के पात्र होंगे जिसके वे सेवाकाल के दौरान पात्र थे।

9. स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए

केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगी और उनके आश्रित, समूह 'क' अधिकारियों को यथालागू उन्हीं सुविधाओं के पात्र हैं।

10. हरे (ग्रीन) कार्डधारी

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत हरे कार्डधारी 'सी' श्रेणी के बिस्तरों पर मुफ्त उपचार के पात्र हैं।

टिप्पण:-

- यदि पात्र श्रेणी में कक्ष उपलब्ध नहीं होता तथा चिकित्सा अधीक्षक/उप चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दाखिला 'तत्काल' प्रमाणित किया गया है तो उच्च श्रेणी में कक्ष अस्थायी तौर पर दिया जाएगा जब तक कि पात्र श्रेणी में कक्ष उपलब्ध नहीं हो जाता। उन सभी अन्य मामलों में जब कर्मचारिवृन्द/विद्यार्थी अपनी पात्रता से उच्च किस्म के कक्ष का विकल्प लेते हैं तो उन्हें उस विशेष किस्म के बिस्तर के लिए, उस उच्च श्रेणी में भर्ती होने की तारीख से ऑपरेशन, जाँच, कक्ष आदि के लिए स्वीकार्य प्रभारों और उनकी पात्रता के किस्म के प्रभारों की राशि के अन्तर का भुगतान करना होगा।

- आमतौर पर सामान्यतः बिस्तरों की श्रेणी में परिवर्तन की अनुमति नहीं होती है। यदि यह परिवर्तन निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में मांगा गया है, तो रोगी को उच्च श्रेणी के लिए स्वीकार्य सभी प्रभारों (निम्न श्रेणी की अवधि में कक्ष के किराए को छोड़कर) का भुगतान करना होगा।

11. आधे दिन के लिए प्रभार

12 बजे दोपहर के बाद भर्ती होने वाले और 12 बजे दोपहर से पहले छुट्टी दिए जाने वाले रोगियों से आधे दिन का प्रभार लिया जाएगा।

12. अन्य

- यदि किसी तकनीकी अथवा प्रक्रियागत गलती और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण समान तरह के परीक्षण का निदान और शल्यक्रियात्मक प्रक्रियाएं दुबारा से की जानी हैं ताकि सही निदान पर पहुँचा जा सके, तो उस जाँच के लिए रोगी से प्रभार नहीं लिया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी इस तरह के दृष्टांतों को मांग पर्ची/भुगतान कार्ड के ऊपरी हिस्से में विनिर्दिष्ट करेगा।

- *चिकित्सा अधीक्षक, सम्बन्धित शल्य चिकित्सक से परामर्श करके ऑपरेशन* प्रभार की सूची में समुचित संशोधन कर सकता है, यदि कोई नई शल्यक्रियात्मक प्रक्रिया जोड़ी जानी है अथवा यह समझा जाता है कि किसी ऑपरेशन के लिए प्रभार बढ़ाया या घटाया जाना है। जाँचों के प्रभार के लिए भी यह लागू होगा।

- विशेष वार्ड के रोगी द्वारा सभी दवाइयां खरीदी जाएंगी। तथापि, उस अवधि के दौरान जब रोगी दवाइयां खरीदने का प्रबन्ध करेगा, उसे भुगतान के आधार पर पहले 24 घंटे के लिए दवाइयां दी जा सकती हैं। केवल विशेष परिस्थितियों में और किसी दवाई के खुले बाज़ार में उपलब्ध न होने की आपात स्थिति में चिकित्सा अधीक्षक की अनुमति से भुगतान के आधार पर दवाइयां निरन्तर दी जा सकती हैं।

- अस्पताल द्वारा दी गई दवाइयों की पूरी कीमत, जिस समय दवाइयां दी जाएंगी उसी समय ली जाएगी। प्रभार, रोगी को छुट्टी देने के समय बाज़ार में प्रचलित दर के आधार पर फार्मेसी द्वारा नियत किया जाएगा।

- साधारण वार्ड के रोगी के लिए दवाइंया मुफ्त दी जाएंगी, किंतु यदि कुछ दवाइयां अस्पताल के भण्डार में नहीं हैं तो रोगियों को उनका इन्तज़ाम स्वयं करना पड़ेगा।

- चिकित्सा अधीक्षक विशेष कारणों (शैक्षिक, अनुसंधान या अन्य कारण) के लिए किसी तरह के शुल्क, जाँचों का अन्य तरीके से संग्रहित राशि को कम कर सकता है अथवा पूरी तरह माफ कर सकता है, बशर्ते कि यह राशि एक वित्तीय वर्ष में 30,000 रूपए से अधिक न हो। इस तरह माफ की गई राशि का तिमाही विवरण एक अलग रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा तथा सूचना के लिए इसे मंत्रालय/भुगतान व लेखा कार्यालय, पुड्डुचेरी को भेजा जाएगा।

प्रभारों की अनुसूची

क्रम संख्या	जाँच परीक्षण	केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों की संशोधित दरें (रूपए)
1.	अल्ट्रासाउंड/एनएसटी	150.00
2.	आई.वी.पी. (गुर्दे, मूत्रवाहिनी आदि के लिए परीक्षण)	150.00
3.	बेरियम मील (जठरांत्र)	150.00
4.	इको कार्डियोग्राफी (हृदय-कार्य)	250.00
5.	टी.एम.टी. (हृदय के लिए स्ट्रेस परीक्षण)	150.00
6.	होल्टर (एम्बूलेटरी/मोबाइल ईसीजी)	250.00
7.	यूरोडाइनेमिक्स (गुर्दा-कार्य)	500.00
8.	एंडोस्कोपी : ऊपर और नीचे की जीआइ एंडोस्कोपी ब्रोंकोस्कोपी (श्वसन-मार्ग) सिस्टोस्कोपी (मूत्राशय)	100.00 100.00 100.00 100.00
9.	हीडमोडायलिसिस (गुर्दा)	500.00
10.	इइजी (मस्तिष्क के लिए)	200.00
11.	लिपिड प्रोफाइल (रक्त जाँच)	100.00
12.	एलिसा जाँच (क्षयरोग/एड्स)	25.00
13.	इन्ट्रावेनस यूरोग्राफी (परीक्षण : गुर्दा, मूत्रवाहिनी आदि)	150.00
14.	माथोट्रेटिंग सिस्टो-यूरेथोग्राम (गुर्दे, मूत्रावाहिनी आदि के लिए जाँच)	150.00
15.	रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी (निचला मूत्र मार्ग)	150.00
16.	इनफ्यूजन पाइलोग्राफी (निचला मूत्र-मार्ग)	150.00
17.	हेफरोस्टोग्राम (निचला मूत्र मार्ग)	150.00
18.	बेरियम स्वालो (ऊपरी जठरांत्र मार्ग)	150.00
19.	बेरियम मील (ऊपरी जठरांत्र मार्ग)	150.00
20.	बेरियम मील फोलो थ्रू (ऊपरी जठरांत्र मार्ग)	150.00

21.	बेरियम एनेमा (रेक्टम, कोलोन, आंत के लिए)	150.00
22.	मुखीय कोलेसस्टिोग्राफी (पित्ताशय)	150.00
23.	इन्ट्राविनस कोलेंजियोग्राफी (पित्ताशय)	150.00
24.	हिस्ट्रोग्राफी (गर्भाशय)	150.00
25.	हीलोग्राफी (मेरूरज्जू)	150.00
26.	टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी (पित्ताशय/बाइल डक्ट)	150.00
27.	विनोग्राफी (विन्स)	150.00
28.	पेरीफेरल आरटेरियोग्राफी (रक्तवाहिका)	150.00
29.	साइनोग्राम (साइनस-नाक)	25.00
30.	साइलोग्राफी (लारग्रन्थि)	50.00
31.	डेकरियो-सिस्टो-रीहनोग्राफी (अश्रु-ग्रन्थि)	150.00
32.	उपचर्या गृह : साधारण (नया उपचर्या गृह) 50 रूपए प्रति दिन डीलेक्स (पुराना उपचर्या गृह) 125 रूपए प्रति दिन	 250.00 50.00

अस्पताल में ठहराव की संशोधित दरें दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	विशिष्टियां	संशोधित दर (रूपए)
	वास प्रभार	
1.	वार्ड 'ए'	150.00
2.	वार्ड 'बी'	100.00
3.	वार्ड 'सी'	50.00
	आहार-प्रभार	
1.	किस्म ए	30.00
2.	किस्म बी	25.00
3.	किस्म सी	20.00

ऑपरेशन-प्रभार			
		पुनरीक्षित दरें (रुपए)	
	श्रेणी - I	ए और बी वार्ड	सी वार्ड
		100.00	50.00
1.	छोटे भाग के लिए स्किन ग्राफ्टिंग (आंशिक मोटाई)		
2.	पेरीनियम का रीलिफ होना (एसएसजी)		
3.	छोटे जोड़ों पर ऑपरेशन (पांव की उंगली का विच्छेदन)		
4.	कान या छोटी खुली टीम्पेनोटोमी		
5.	पॉलिप हटाना		
6.	मेडुलरीकोचन		
7.	ग्रासनलीदर्शन		
8.	डेक्रियोसिस्टेक्टोमी		
9.	ग्लूकोमिया (गलूकोमा) का ऑपरेशन (ट्रैविज ऑपरेशन) ट्रेबक्यूलेक्टोमी		
10.	दरारों (ट्रूट) को बन्द करके कम करना (टिबियलपिन, अन्तः इम्म, इण्टर मेक्सीलरी तार लगाना) तथा जोड़-तोड़ करना		
11.	इरिडेक्टोमी (कार्निया सुधार)/भेगेपन शल्यक्रिया		
12.	एडेनोएडेक्टोमी		
13.	बाहरी अवयांग, भग (कुल्हा) एवम् योनि, सर्विकल एमसर्कलेजकोलेजिशन का ऑपरेशन कोणप्रवेशन		
14.	चलक पर प्लास्टिक ऑपरेशन		
15.	एंडोमेट्रीरियल बायोप्सी, उच्छेदन बायोप्सी		
16.	ट्यूबल इनसफ्लेशन (टीटी)		
17.	सामान्य चेतनाहरण के अन्तर्गत सभी फोड़ों का ऑपरेशन		
18.	लाइरिंगोटोमी		
19.	एक्सीसनी लिम्फनोड बायोप्सी		
20.	सामान्य चेतनाहरण डेब्राइडमेंट के तहत सभी टांके (सीवन) लगाना		
21.	एंडोस्कोपी तथा सामान्य चेतनाहरण (आन्तरिक यूरेथ्रोटोमी) के तहत की गई प्रक्रिया		
22.	छोटे अर्बुद (ट्यूमर) का उच्छेदन (ऑपरेशन)		
23.	ए.वी. फिस्टूला (यूरोलोजी) सर्किमसोटोमी स्टेपल हटाना ट्रेकियोस्टोमी पिन ट्रेक्शन (कंकाल)		

	श्रेणी - II	200.00	100.00
1.	इर्वज़न (सेक)		
2.	बवासीर (हीमोरॉइडाइक्टोमी, फिस्टूलेक्टोमी)		
3.	मूत्राशय की पथरी (ब्लेडर स्टोन)		
4.	सुपरप्यूबिक सिस्टोसटोमी, मूत्राशय ग्रीवा छेदन		
5.	फीडिंग ऑपरेशन का ड्रेनेज प्रोसीजर्स (कोलोसटोमी, ट्रेमोटोमी, गेस्ट्रोटोमी)		
6.	परिधीय अस्थियों का ओस्टियोमाइलिटिस, ड्रेनेज, सिक्वेस्ट्रेक्टोमी और सीसराइजेशन (क्यूरेटेज, घावों का एक्सप्लोरेशन, अस्थि क्यूरेटेज) के लिए प्रक्रियाएं		
7.	ब्रॉकोस्कोपी		
8.	ऐसोफेगोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, लरिंगोस्कोपी, ओ'स्कोपी और सिगमोएडोस्कोपी, स्कलेरोथेरेपी		
9.	रिब रिसेक्शन और ड्रेनेज		
10.	डी और सी, डी तथा इ (फ्रेक्शनल क्यूरेटेज)		
11.	गहरे फोड़ों के लिए एक्सप्लोरेशन (फिब्रोसारकोमा उच्छेदन बायोप्सी)		
12.	हर्निया - इग्यूनल, एपीमेस्टारिक, छेदन (केलेज सुधार, कील सुधार)		
13.	हाइड्रोसिल (सेक का इवर्ज़न), टेस्टीक्युलर एपैंडेज का उच्छेदन		
14.	ऑर्किडेक्टोमी		
15.	फिस्टचुला		
16.	शिश्न का आंशिक विच्छेदन, अंगूठे और उंगलियों का विच्छेदन		
17.	स्तन लोप (पूरी तरह मास्टेक्टोमी), गांठ वाले (फाइब्रोडैनोमा) स्तन का उच्छेदन, क्युलेक्टोमी		
18.	पुरूष नसबन्दी पुर्नस्थापन, एम.टी.पी.		
19.	खोपड़ी का ऑपरेशन		
20.	विवर (शिरानाल) का ऑपरेशन		
21.	नासा पट सुधार (एसएमआर)		

22.	लैक्रीमल ग्लैंड एक्सीजन
23.	आई बाल का ईन्यूक्लिएशन
24.	एडीनवॉयडेक्टोमी के साथ या इसके बिना टान्सीलेक्टामी
25.	क्लेफ्ट होठ की मरम्मत-लैबिचोप्लास्टी की कमी
26.	प्रसव-सामान्य का असामान्य, इपिसिचोटामी के साथ या इसके बिना
27.	हायपोस्पैडियास, असोपा II मरम्मत एमए जीपीआई मरम्मत
28.	एपेन्डेक्टामी (सीस्टोसकापी) (अन्तराल)
29.	वेरीकोस वेन्स (रोब्स प्रक्रिया), ट्रेन्डेललेगबर्ग आपरेशन
	केवल नाखून का एक्सट्रेक्शन
	अल्सर के एक्सीजन के साथ सक्शन लिपोलाइसिस मैमोप्लास्टी
	कैलीज स्टीन के साथ क्वायथेसट्रैफी

	श्रेणी-III	**500.00**	**250.00**
1.	बड़े ट्यूमर या गहरे ट्यूमर, फीब्रोएड्स का एसजीजन-योमेटामी (वार्ड मायो)		
2.	हड्डियों का एसीजन (पेटेलैटॉमी)		
3.	लिम्फनोड्स का ब्लाक डिसेक्शन		
4.	रेक्टम का पेरिनियल एक्सीजन		
5.	यूरेथ्रा का प्लास्टिक आपरेशन		
6.	प्रोस्टेक्टामी		
7.	किसी भी माध्यम से ब्लैडर ट्यूमर को निकालना		
8.	वृक्क, यूरेटर आदि से पत्थर निकलना (पाइलोलिथोटॉमी), पाइलोप्लास्टी, यूरेथेरोटॉमी, अटेम्पटिड बास्केटिंग, टीयूआरपी		

9.	वृक्क, यूरेटर, ब्लैडर का निकालना (नेफ्रो-यूरेटेरक्टॉमी)
10.	आंशिक नेफ्रेक्टॉमी या प्लास्टिक मरम्मत (स्क्रोटोप्लास्टी-लिंग का पुनर्निर्माण)
11.	लिंग का पूरा एम्प्यूटेशन
12.	रिट्रोपेरिटोनियल ढांचे का हटाना (ट्रांसवर्स कोलोसटॉमी)
13.	सभी लैपेरेटोमीज (एब्डहिस्टेरेक्टॉमी), ओवरी का निकालना (ओफोरेक्टामी), बीएसओ के साथ टीएएच, ओकेबायासी
14.	एक्सटेंसिव स्किन ग्राफ्टिंग
15.	स्किन का प्लास्टिक पुनर्निर्माण, डेब्रीडेमेंट और स्किन ग्राफ्टिंग, क्रॉस पेडिकल ग्राफ्ट
16.	स्तन का हटाना-पूरे स्तन का हटाना-रेडिकल, पेटेज कासटेक्टॉमी
17.	स्पाइन का आपरेशन (पोस्टेरियर स्पाइनल फ्यूजन)
18.	हिप, कंधे का आपरेशन (प्रोथेसिस)
19.	घुटने, कुहनी का आपरेशन (सीनोवेक्टॉमी) (एक्सरे थाम्पसन फेमोरल हेड रिप्लेसमेंट) (पियोरथेसिस), मोडिफॉयड़ टॉन्स
20.	एन्कल का अपरेशन, पीएमएसआर, सोलर्टीयर रिलीज यान्ट्स
21.	बॉन ग्राफ्टिंग और पिन, नेल, प्लेट आदि का प्रयोग (नेल क्यूरेटेज का एसट्रेक्शन), स्क्रू फिक्शेसन, प्लेट और बोन ब्लाक का हटाना
22.	हड्डी का रिप्लेसमेंट
23.	टेनडान्स का प्रत्यारोपण (रिस्ट फ्यूसियम) (टीए लेनथेनिंग) स्टेनडलर्स
24.	इन्टरनल फिक्शेसन के साथ या इसके बिना ओपन रिडक्शन (प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट), गरडल स्टॉन
25.	तंत्रिकाओं की सर्जरी (जीजे वेगोटॉमी)
26.	सभी एम्प्यूटेशन या डिस्आर्टीकूलेशन, हाथ की अंगूलियों या पैर की अंगूलियों को छोड़कर
27.	लैरीन्क्स, फैरीन्क्स आदि का बड़ा रेसेक्शन

28.	मध्य कान पर आपरेशन (स्टैपेडेक्टॉमी)
29.	क्रेनियल एक्सप्लोरेशन
30.	नेसोफेरिंजिल ट्यूमर को हटाना
31.	सभी थोरेकिक आपरेशन-लोबेक्टॉमी
32.	डिसओबिटेरेशन या रिकन्सट्रक्शन के लिए सभी वास्कूलर आपरेशन
33.	मोतियाबिंद (इन्ट्राकैप्सूलर एक्सट्रेक्शन) (लैंस एक्सट्रेक्शन)
34.	ग्राफ्टिंग या कार्निया
35.	रेटिना को हटाने के लिए आपरेशन
36.	वैजीनल हिस्टेरेक्टामी या सर्विसेक्टामी
37.	पेलिवक फ्लोर मैनचेस्टर रिपेयर के पुनर्निर्माण के लिए प्रोलेपसे हेतु वैजीनल आपरेशन
38.	नेत्र की परफोरेटिंग इन्ज्यूरी
39.	टिमपेनोप्लास्टी, टिमपेनोसटॉमी
40.	सिजेरियन सेक्शन (एलएससीएस)
41.	थायरॉयडेक्टोमी (हेमिथायरायडेक्टॉमी)
42.	मैनडिबल का एक्सीजन
43.	सेलिवरी ग्लैंड का एक्सीजन पैरोटीडेक्टॉमी
44.	रेडिकल नेक डिसेक्शन
45.	सर्विकल सिमपेथेक्टामी
46.	पैलेट की मरम्मत
47.	मीरिंगोप्लास्टी
48.	मेम्सीलेक्टामी
49.	इथोडेक्टॉमी (एक्सट्रा नासल)
50.	फ्रांटल साइनस आपरेशन
51.	लैटरल रिनोटॉमी

52.	ट्रान्सपेलेटेल आपरेशन
53.	लैरिंगो-फिशर
54.	लैटरल फैरिंगोटॉमी
55.	मासटायडेक्टॉमी और मासट्वायड एक्सप्लोरेशन
56.	फेसियल नर्व डिकम्प्रेशन
57.	फेसियल नर्व ग्राफ्टिंग
58.	टेम्पोरल हड्डी का एक्सीजन
59.	लैरिंगेक्टॉमी
60.	लैरिंगोफेरिंगेक्टामी
61.	सभी गॉल ब्लैडर आपरेशन-कोलेक्सीसटेक्टामी और सीबीडी एक्सप्लोरेशन
62.	रिनोप्लास्टी
63.	लैमिनेक्टॉमी और डिसेक्टॉमी
64.	रेक्टम का एब्बडोमिनल पेरिनियल रेसेशन
65.	ट्यूबोप्लास्टी
66.	यूरेटर प्रत्यारोपण
67.	विट्रेक्टॉमी .
68.	कैम्पबेल्स प्रक्रिया
69.	सिस्टोसेल और रिक्टोसेल की मरम्मत
70.	रेक्टोपेक्सी
71.	हेमिकोलेक्टॉमी
72.	नयूरोफिब्रोमा का एक्सीजन
73.	स्पलीनेक्टामी
74.	पैर का पुनः प्रत्यारोपण

	श्रेणी - IV	संशोधित दर (रुपए)	
		क और ख	ग
1.	हेमोडायलेसिस	500.00	250.00
2.	पेरिटोनियल डायलेसिस	200.00	100.00
3.	ईईजी (जब उपलब्ध हो, सामान्य)	75.00	38.00
4.	ईईजी (विशेष)	200.00	100.00
5.	ईसीटी मोडिफायड	40.00	20.00
6.	एमबॉमिंगमबालमिंग	500.00	250.00
7.	मोरचूरी स्टोरेज प्रभार	300.00	300.00
8.	ओपन हार्ट सर्जरी	1,000.00	500.00
9.	लेजर उपचार	400.00	200.00
10.	फुफ्फुसीय कार्य जांच	200.00	100.00
11.	नेबुलाईजेशन थेरेपी	75.00	38.00
12.	ईसीजी	30.00	15.00
13.	कोनोकार्डियोग्राफी/एसटीआई	100.00	50.00
14.	डीसी कार्डियोवर्जन	100.00	50.00
15.	अस्थायी कार्डियक पेसिंग	300.00	150.00
16.	स्थायी कार्डियक पेसिंग	500.00	250.00
17.	इलेक्ट्रोफिजियोलॉजीकल मूल्यांकन	400.00	200.00
18.	राइट हार्ट कैथेटेराइजेशन	400.00	200.00
19.	लेफ्ट हार्ट कैथेटेराइजेशन एवं एंजियोग्राफी + ओरटोग्राफी, पीटीसीए	600.00	300.00
20.	एंजियोप्लास्टी/बूलबेलप्लास्टी	1,000.00	500.00
21.	बीबीपी	1,000.00	500.00

22.	नॉन-स्ट्रेस परीक्षण	150.00	75.00

प्रयोगशाला जांच

क्र.सं.	जांच	संशोधित दर (रूपए)	
		क और ख	ग
	विकृति विज्ञान		
1.	रक्त वर्गीकरण (एबीओ एवं आरएच)	15.00	7.50
2.	रक्त क्रॉस मैचिंग	15.00	7.50
3.	रक्त वर्गीकरण एवं मैचिंग	20.00	10.00
4.	रक्त/पैक्ड सेल्स/फ्रोजन प्लाजमा/क्रायोप्रेसिपिटेट के एक यूनिट की आपूर्ति	100.00	50.00
5.	प्रभार जहां दाता उपलब्ध कराया जाता है	75.00	37.50
6.	प्लेटलेट कॉन्सेन्ट्रेट	150.00	75.00
7.	आरएच-एन्टीबाडी टायटर	25.00	12.50
8.	काम्ब परीक्षण	25.00	12.50
9.	कोल्ड एग्ल्यूटिनिंग	20.00	10.00
10.	एलईसेल/पीसीयू	25.00	12.50
11.	अस्थि मज्जा जांच	30.00	15.00
12.	कोगूलेशन अध्ययनः		
	थ्रोम्बोप्लास्टिन जेनरेशन जांच प्रोथ्रम्बीन टाइम (पीटी)	100.00	50.00
	के.पी.टी.टी.	100.00	50.00